रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-73

REGISTERED No. D (D).73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 37] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 12, 1981/भाद्र, 21, 1903

No. 37] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 12, 1981/BHADRA 21, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II —खण्ड 3 —उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 1981

सा०का०नि० 830.—केन्द्रीय सरकार, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की प्रथम अनुसूची के आदेश 27 के नियम 8ख के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व विधि मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) की अधिसूचना सं० सा०का० नि० 1112, ता० 25 नवम्बर, 1960 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में पश्चिमी बंगाल से संबंधित क्रम सं० 14 के सामने, उच्च न्यायालय से संबन्धित मद (क) में, स्तम्भ 2 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्.

"(i) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से संबन्धित सभी मामलों (सिविल और वाणिज्यिक दोनों) की बाबत जो कलकत्ता उच्च न्यायालय की अपीली अधिकारिता के भीतर उद्भूत होते हैं जिसके अन्तर्गत सांविधानिक रिट अधिकारिता भी है :

(क) श्री आर० एल० मुखर्जी
ज्येष्ठ केन्द्रीय सरकार अधिवक्ता

(ख) श्री एस०के० कुंडु
केन्द्रीय सरकार अधिवक्ता

(ग) श्री जे० एन० श्रीनिवासन
उप विधि सलाहकार ;

(ii) कलकत्ता उच्च न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता के भीतर उद्भूत होने वाले सभी मामलों की बाबत जिसके अन्तर्गत संविधानिक रिट अधिकारिता भी है।

(क) श्री आर०एल० मुखर्जी
ज्येष्ठ केन्द्रीय सरकार अधिवक्ता

(ख) श्री एस०के० कुंडु
केन्द्रीय सरकार अधिवक्ता।

(ग) श्री जे०एन० श्रीनिवासन,
उप-विधि-सलाहकार।"

[फा०सं० 15/1/76—न्याय]

के० सी० डी० गंगवानी, अपर विधि सलाहकार

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 27th July, 1981

G.S.R. 830.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of rule 8B of Order XXVII of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late

Ministry of Law (Department of Legal Affairs) No. G.S.R. 1412, dated the 25th November, 1960, namely:—

In the Schedule to the said notification against S.No. 14 relating to West Bengal, in item (a) relating to High Court, in Column 2 against existing entries, the following shall be substituted, namely :—

"(i) In respect of all cases (both civil and criminal) concerning the Ministry of Finance Government of India arising within the Appellate Jurisdiction of the High Court, Calcutta including Constitutional Writ Jurisdiction.

(a) Shri R. L. Mukherjee, Senior Central Government Advocate.

(b) Shri S. K. Kundu, Central Government Advocate.

(c) Shri J. N. Sreenivasan, Deputy Legal Adviser;

(ii) In respect of all cases arising within the Original Jurisdiction of the High Court, Calcutta, including Constitutional Writ Jurisdication.

(a) Shri R. L. Mukherjee, Senior Central Government Advocate.

(b) Shri S. K. Kundu, Central Government Advocate.

(c) Shri J. N. Sreenivasan, Deputy Legal Adviser."

[F. No. 15/1/76-Judl.]

K. C. D. GANGAWANI, Additional Legal Adviser

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 1981

सा०का०नि० 831.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (अराजपत्रित-अलिपिकवर्गीय कर्मचारीवृन्द) भर्ती नियम, 1968 को अधिक्रान्त करते हुए, गृह मंत्रालय के सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में स्टाफ नर्स के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (अराजपत्रित-अलिपिकवर्गीय कर्मचारी वृन्द) भर्ती नियम, 1981 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

3 भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि .—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबन्धित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

4 निरर्हताएं—वह व्यक्ति.—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति:—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6 व्यावृत्ति:—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबन्ध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद-500252 के विभाग में स्टाफ नर्स के लिए भर्ती नियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयुसीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	4	3	5	6	7
स्टाफ नर्स	*दो *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग"	425-15-560-द० रो० 20-640 रुपये	लागू नहीं होता	35 वर्ष टिप्पण आयु सीमा अवधारित करने के लिये निर्णायक तारीख, प्रत्येक मामले में, भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अन्दमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी ।	(1) मैट्रिक उत्तीर्ण (2) यदि उस राज्य में, जिसमें अभ्यर्थी को प्रशिक्षित किया जाना गया है, दो श्रेणियां हैं तो, साधारण परिचर्या "क" श्रेणी में प्रमाणपत्र धारक होना/होनी चाहिए । (3) रजिस्ट्रीकृत नर्स होना/होनी चाहिए

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि, कोई हो।	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा पद्धतियां जिनसे भर्ती किये जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशतवार	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वालों के लिए दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण द्वारा और दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण ऐसा कम्पाउण्डर जिसने राज्य सरकार के स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग से परिचर्या पाठ्यक्रम पूरा किया है या वहां से प्रशिक्षित नर्स है। (प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	उपनिदेशक—अध्यक्ष सहायक निदेशक—सदस्य, स्टाफ सर्जन—प्रशासन अधिकारी सदस्य	लागू नहीं होता

[सं० 10/9/76-पर्स-II]

गोपाल कृष्ण, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 27th August, 1981

G.S.R. 831.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the National Police Academy (Non-Gazetted-Non-Ministerial Staff) Recruitement Rules, 1968, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the post of Staff Nurse in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad, Ministry of Home Affairs, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy (Non-gazetted-Non-Ministerial Staff) Recruitment rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Number, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

4 Disqualification.—(1) No person who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post : Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6 Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard

SCHEDULE

Recruitment Rules for Staff Nurse in Ministry/Deptt. of Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy : Hyderabad.

Name of post	No. of Posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-Selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
Staff Nurse	*Two	General Central Service Group 'C'	Rs. 425-15-560-EB-20-640	Not applicable	35 Years. Note :—The crucial date for determining the age limit will be the closing date for receipts application from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	(1) Matriculation; (2) Should be holder of a certificate in General Nursing 'A' Grade if there are two grades in the State in which the candidate has been trained. (3) Should be a Registered Nurse

subject to variation dependant on work load.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of Probation, if any.	Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades, from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a DPC exists what is its composition.	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making rectt.
8	9	10	11	12	13
Not applicable.	Two years for direct recruits.	By deputation failing which by transfer, failing both by direct recruitment.	Deputation/Transfer : Compounder having undergone Nursing course or a trained Nurse from the Health and Medical Deptt. of the State Government. (Deputation period not exceeding 3 years).	Dy. Director—Chairman. Asstt. Director—Member. Staff Surgion Admn. Officer—Member.	Not applicable

[No. 10/9/76—Pers. II]

GOPAL KRISHAN, Desk Officer

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 1981

सा०का०नि० 832.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 318 के उपखण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग (सदस्य) विनियम, 1969 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1 (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग (सदस्य) संशोधन विनियम, 1981 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. संघ लोक सेवा आयोग (सदस्य) विनियम, 1969 के विनियम 10 के उप-विनियम (3) और (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(3) इस विनियम के अधीन इस प्रकार विकल्प का प्रयोग करने वाला कोई सदस्य, यदि उसने उक्त सेवा की बाबत पेंशन के रूप में कोई सेवा निवृत्ति प्रसुविधा, जिसमें उसका कोई संराशिकृत मूल्य, उपदान या, किसी अभिदायी भविष्य निधि में यथास्थिति, सरकार का या नियोजक का अभिदाय, उस पर किसी ब्याज सहित सम्मिलित है, प्राप्त किया है तो, उक्त सेवा निवृत्ति-प्रसुविधाओं की कुल रकम एक-मुश्त राशि में वापस करेगा और यदि वह वे सेवा निवृत्ति प्रसुविधाएं जो इसमें इसके पूर्व इस उप-विनियम में निर्दिष्ट है प्राप्त करने के लिए हकदार हो गया है किन्तु उसने वे वस्तुतः प्राप्त नहीं की है तो वह लिखित रूप में यह संज्ञापित करेगा कि वह उसे प्राप्त करने के अपने अधिकार को छोड़ने के लिए सहमत है"।

[सं० 39025/2/80—स्थापना (बी)]

जे० के० शर्मा, निदेशक

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

New Delhi, the 26th August, 1981

G.S.R. 832.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (a) of Article 318 of the Constitution, the President hereby makes the following regulations further to amend the Union Public Service Commission (Members) Regulations, 1969, namely :—

1. (1) These Regulations may be called the Union Public Service Commission (Members) Amendment Regulations, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Union Public Service Commission (Members) Regulations, 1969, for sub-regulations (3) and (4) of regulation 10, the following sub-regulation shall be substituted, namely :—

"(3) Any such member, so exercising his option under this regulation, shall, in case he has received any retirement benefit, by way of pension including any commuted value thereof, gratuity or the Government's or the employer's contribution, as the case may be, to any Constributory Provident Fund together with any interest thereon, in respect of the said service, refund the entire amount of the said retirement benefits in a lump-sum; and in case he has become entitled to receive but has not actually received the retirement benefits, herein before referred to in this sub-regulation, signify in writing that he has agreed to forego his right to receive the same".

[No. 39025/2/80-Estt (B)]

J. K. SHARMA, Director

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

सं० 201/81-सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 1981

सा० का० नि० 833.—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 132-सीमा-शुल्क तारीख 2 जुलाई, 1980 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में उपाबद्ध अनुसूची में क्रम सं० 21 और उससे सबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टि अन्त स्थापित की जाएगी, अर्थात् —

"22 अलसी का तेल"

[फा० सं० 552/61/81-एल-सी० I]

एन० के० कपूर, अवर सचिव

टिप्पण —यह अधिसूचना सं० 132-सीमा-शुल्क, तारीख 2 जुलाई, 1980 का इस दृष्टि से संशोधन करने के लिए है कि जिससे भारत नेपाल व्यापार संधि, 1978 के अन्तर्गत भारत में अधिमानी प्रविष्टि के लिए संहमत प्रक्रिया के अनुसार, पात्र पाए गए नेपाली मूल के एक और उत्पाद जोड़ा जा सके। इस माल को जब उसका भारत में नेपाल से आयात किया जाए, सीमा-शुल्क से छूट प्राप्त होगी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

No. 201/81-CUSTOMS

New Delhi, the 12th September, 1981

G.S.R. 833.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 132-Cus. dated the 2nd July, 1980, namely:—

In the Schedule annexed to the said notification after Serial No. 21 and the entries relating thereto, the following S. No. and entry shall be inserted, namely :—

"22. Linseed Oil".

[F. No. 552/61/81-LCI]

N. K. KAPUR, Under Secy.

Note :—This seeks to amend notification No. 132-Customs, dated the 2nd of July, 1980 so as to add one more products of Nepalese origin, as per the agreed procedure, to qualify for preferential entry into India under the Indo-Nepal Treaty of Trade, 1978. These goods when imported from Nepal into India would be exempted from Customs duty.

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 1981

सा०का०नि० 834.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा भारत प्रतिभूति मुद्रणालय (श्रेणी III के पद) भरती नियमावली, 1974 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों को भारत प्रतिभूति मुद्रणालय (श्रेणी III के पद) भरती (संशोधन) नियमावली, 1981 कहा जाएगा।

(2) ये नियम भारत के राजपत्र में इनके प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारत प्रतिभूति मुद्रणालय (श्रेणी III के पद) भरती नियमावली 1974 की अनुसूची में, "सहायक पर्यवेक्षक" के पद से संबन्धित क्रम संख्या 2 में—

(1) कालम 8 में वर्तमान प्रविष्टि को निम्नलिखित प्रविष्टि द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

मुद्रण टेक्नोलाजी में किसी मान्यता-प्राप्त संस्था का डिप्लोमा अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की विज्ञान में डिग्री और इसके साथ किसी ख्याति प्राप्त मुद्रणालय में सम्बन्धित कार्यक्षेत्र का कम से कम एक वर्ष का व्यावहारिक अनुभव।"

(2) कालम 11 में वर्तमान प्रविष्टियों को निम्नलिखित प्रविष्टियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"तकनीकी सहायक (प्रशिक्षुओं) को खपा लेने के बाद

(क) सीधी भरती के द्वारा 75 प्रतिशत।

(ख) औद्योगिक श्रमिकों की पदोन्नति द्वारा 25 प्रतिशत (कालम 12 के (iii) के अनुसार) जिसके न होने पर सीधी भरती द्वारा।

[स० एफ० 5/10/81—करेसी]

नाज कुमार मल्होत्रा, उप सचिव

(Deptt. of Economic Affairs)

New Delhi, the 17th August, 1981

G.S.R. 834.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the folowing rules further to amend the India Security Press (Class III posts) Recruitment Rules, 1974, namely:—

1. (1) These rules may be called the India Security Press (Class III posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the India Security Press (Class III posts) Recruitment Rules, 1974, in Serial No. 2 relating to the posts of "Assistant Supervisors",—

(1) in column 8, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :—

"Diploma in Printing Technology of a recognised Institution, or a Degree in Science of a recognised University, with a minimum of one year of practical experience in the respective field in a printing press of repute."

(2) in column 11, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :—

"After absorption of Technical Assistant (Apprentices)

(a) 75 per cent by Direct Recruitment.

(b) 25 per cent by promotion of Industrial workmen [as per (iii) of column 12] failing which by direct recruitment".

[No. F. 5/10/81-CY]

L. K. MALHOTRA, Dy. Secy.

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1981

सा०का०नि० 835.—संविधान के अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति द्वारा "कोयला विभाग (तकनीकी सहायक) भरती नियम, 1979" में संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाए जाते हैं, अर्थात् —

1 (1) इन नियमों को कोयला विभाग (तकनीकी सहायक) (संशोधन) नियम, 1981 कहा जाएगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू हो जाएंगे।

2 कोयला विभाग (तकनीकी सहायक) नियम, 1979 (जिन्हें आगे उक्त नियम कहा गया है) के प्रारूप में शब्दों और अंकों "20 सितम्बर, 1963" के बाद यह शब्द जोड़ दिए जाएंगे——जो मुद्दे निर्णित हो चुके है या होने के लिए छोड़े गए हैं उनके मामले में छोड़कर"।

3 उक्त नियमों की अनुसूची में, कालम 6 के नीचे, निम्नलिखित नोट जोड़ दिया जाएगा, अर्थात्——

"नोट :——आयु-सीमा निश्चित करने के लिए निर्णायक तारीख वही होगी जो भारत स्थित उम्मीदवारों (अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप से इतर) से आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी"।

[सं० ए०ए० 12018/1/78-प्रशा-1]

श्रीमती कृष्णलेखा सूद, निदेशक

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

New Delhi, the 24th August, 1981

G.S.R. 835.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Department of Coal (Technical Assistants) Recruitment Rules, 1979, namely :—

1. (1) These rules may be called Department of Coal (Technical Assistants) (Amendments) Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the preamble to the Department of Coal (Technical Assistants) Rules, 1979 (hereinafter referred to as the said rules), after the words and figures, "the 20th September, 1963," the expression "except as respects things done or omitted to be done" shall be inserted.

3. In the Schedule to the said rules, under column 6, the following note shall be inserted, namely :—

"Note :—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar and Lakshdweep)".

[No. A.A. 12018/1/78-Adm. I]

Smt. K. SOOD, Director

(विद्युत विभाग)

केन्द्रीय विद्युत बोर्ड

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 1981

सा०का०नि० 836.—तारीख 9 मई, 1981 के भारत सरकार के राजपत्र के भाग II—खण्ड-3, उपखण्ड (i) के पृष्ठ 1114 से 1125 पर प्रकाशित भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (विद्युत विभाग), केन्द्रीय विद्युत बोर्ड की अधिसूचना सा०का०नि० 461, तारीख 24 अप्रैल, 1981 में——

(I) पेज 1117 में——

(1) मद संख्या 10(2) के सामने घंटों की संख्या '8' को न पढ़ें।

(2) मद संख्या 17, लाइन 3 के वाक्यांश 'वल्व' के स्थान पर 'वैल्व' पढ़ें ।

(3) मद संख्या 18(5), लाइन 2 के वाक्यांश 'टबों' के स्थान पर 'ट्यूबों' पढ़ें ।

(4) मद संख्या 19(2) के सामने घंटो की संख्या '22' के स्थान पर '2' पढ़ें ।

(5) मद संख्या 19(10), लाइन 2 में 'कि' के स्थान पर 'की' पढ़ें ।

(II) पेज 1119 में——

(6) परिशिष्ट 2 (2) मद संख्या 1, लाइन 2 में वाक्यांश 'पेज' के स्थान पर 'फेज' पढ़ें ।

(7) परिशिष्ट 2(2), मद संख्या 4 के स्थान पर घटो की संख्या '3' के स्थान पर '8' पढ़ें ।

(8) परिशिष्ट 3, मद संख्या 4(6) में वाक्यांश 'वेल्डन' के स्थान पर 'वेल्डिंग' पढ़ें।

(III) पेज 1120 में——

(9) परिशिष्ट 3, मद संख्या 23 में वाक्यांश 'आर्च' के स्थान पर 'चार्ज' पढ़ें ।

(10) परिशिष्ट 4(1), मद संख्या 8 में 'स्विजगियरो' के स्थान पर 'स्विचगियरों' पढ़ें ।

(11) परिशिष्ट 4(II) के सामने घटो की संख्या 3 न पढ़ें ।

(IV) पेज 1121 में——

(12) परिशिष्ट 4(II) मद संख्या 8 में 'स्पच' के स्थान पर 'क्लच' पढ़ें ।

(13) परिशिष्ट 5, मद संख्या 6, लाइन 4 में 'सिनेक्रमोनाइजिंग' के स्थान पर 'सिनक्रोनाइजिंग' पढ़ें ।

(14) परिशिष्ट 5, मद संख्या 7, लाइन 3 में 'एम्पीफाइन' के स्थान पर 'एम्पलीफायर' पढ़ें ।

(15) परिशिष्ट 5, मद संख्या 15, लाइन 2 में 'आर्च' के स्थान पर 'चार्ज' पढ़ें ।

(V) पेज 1122 में——

(16) परिशिष्ट 5, मद संख्या 31 के सामने घटो की संख्या '3' के स्थान पर '2' पढ़ें ।

(17) परिशिष्ट 5, मद संख्या 32 के सामने घंटों की संख्या '2' के स्थान पर '3' पढ़ें ।

(18) परिशिष्ट 6, मद संख्या 1 में 'के वो' के स्थान पर 'के वी' पढ़ें ।

(19) परिशिष्ट 6, मद संख्या 5(3), लाइन 1 में 'वो वाइडिंग' के स्थान पर 'दो वाइडिंग' पढ़ें ।

(20) परिशिष्ट 6, मद संख्या 5(5), लाइन 4 के सामने घटों की संख्या '4' न पढ़ें ।

(21) परिशिष्ट 6, मद संख्या 7(1), लाइन 1 में 'डसबार' के स्थान पर 'बसबार' पढ़ें ।

(22) परिशिष्ट 6, मद संख्या 10, लाइन 1 में 'लाइटगि' के स्थान पर 'लाइटनिंग' पढ़ें ।

(VI) पेज 1123 में——

(23) परिशिष्ट 6, मद संख्या 15, लाइन 2 में 'लाय' के स्थान पर 'लाग' पढ़ें ।

(24) परिशिष्ट 7, मद संख्या 1(ग), लाइन 1 में वाक्यांश 'मर' न पढ़ें ।

(25) परिशिष्ट 7, मद संख्या 4, लाइन 1 में 'को विशेष' के स्थान पर 'कोई विशेष' पढ़ें।

(26) परिशिष्ट 7, मद संख्या 4, लाइन 4 में 'विशेष' के स्थान पर 'विशेष' पढ़ें।

(27) परिशिष्ट 7 मद संख्या 1 लाइन 7 के पहले मद संख्या पढ़ें।

(VII) पेज 1124 में—

(28) परिशिष्ट 7(2), मद संख्या 1(घ), लाइन 3 के सामने नियत अंक '—(1)' न पढ़ें।

(29) परिशिष्ट 7(2), मद संख्या 3(क) के सामने नियत अंक '+(10)' के स्थान पर '+(15)' पढ़ें।

(30) परिशिष्ट 7(2), मद संख्या 4(ब), लाइन 3 में 'वैल्डन' के स्थान पर 'वैल्डिंग' पढ़ें।

(VIII) पेज 1125 में—

(31) हेडिंग 'प्रशासकों और पर्यवेक्षकों को सहायता देने वाले कुशल व्यक्तियों का निर्धारण प्ररूप' के नीचे और 'प्रशिक्षण विभाग में प्रयोग के लिए' के ऊपर वाक्यांश 'व्यक्तियों का निर्धारण' और 'प्ररूप' न पढ़ें।

[सं० सी०एम०-305/38/81]

ईश कुमार, सचिव (केन्द्रीय विद्युत बोर्ड)

(Department of Power)

CENTRAL ELECTRICITY BOARD

CORRIGENDUM

New Delhi, the 28th August, 1981

G.S.R. 836.—In the notification of Ministry of Energy (Deptt. of Power), Central Electricity Board G.S.R. 461, dated 24th April, 1981 published in Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i) dated 9th May 1981, the following corrections may be carried out :—

I. At page 1125 :

(1) In column 1, line 1, for the word "futher" read "further".

(2) In column 2, line 25, for the word "of" read "or".

(3) Line 63, 64 may be read as "In respect of thermal stations, separate course may be arranged for the operating and supervisory staff and other skilled persons who are to assist them".

II. At page 1126 :

(4) Column 1, line 20, read comma (,) before word "instrumentation".

(5) In line 40 for the "sepnt" read "spent".

(6) In line 40 for "graining" read "training".

(7) In line 59 after the word "from" and before the word "recognised" read "a".

(8) In column 2, line 15, for the word "and" read "any".

(9) In line 57, for the word "just" read "Dust".

III. At page 1127 :

(10) In column 1, line 14, read comma (,) before the words "types of turbines".

(11) In line 41, read comma (,) before word "methods".

(12) In line 59 for the word "cash" read "ash".

(13) In column 2, line 13, read comma (,) before the word "station".

(14) In line 17, read comma (,) before the word "potential".

IV. At page 1128 :

(15) In column 1, line 16, read comma (,) before the word "high temperature".

(16) In line 24, against item XX, read "3".

(17) In line 29, after the words, "Electricity Act" and before "Electricity (Supply)" read "1910".

(18) In the 33, for "imaintenance" read "maintenance"

(19) In line 30, read comma (,) before word "Indian".

(20) In line 52, for "diposits" read "deposits".

(21) In column 2, line 4, for "hydrauoic" read 'hydraulic".

(22) In line 41, for "balbe" read "valve".

V. At page 1129 :

(23) In column 1, item IV, line 5, for "contractors" read "contactors".

(24) In column 2, item X, line 3, for "dearators" read "deaerators".

(25) In item XXII (8), for "reherting" read 'reheating".

VI. page 1130 :

(26) In appendix IV(1), item 1, for "visula" read "visual".

(27) In column 2, item X, line 2, for word "start" read "star".

(28) In appendix IV(2), item XI for "Vibnation" read "Vibration".

VII. At page 1131 :

(29) In appendix V, line 2, after word "WILL" and before "ENGAGED" read "BE".

(30) In item 1, line 3, for "poak" read "peak".

(31) In item 2, line 6 for "penstochs" read "penstocks".

(32) In column 2, item XV, line 4, for "contractors" read "contactors".

(33) In item XVII, line 1, after word "types" and before "cables" read "of".

(34) In item XVII, line 2, for "rading" read "rating".

(35) In item XX, line 4, for "amd" read "and".

(36) In item XXII, line 2, delete word "and" before word "recording".

(37) In item XXIV, for "turbive" and "turbine".

(38) Against item XXXI, for "2" read "3".

(39) Against item XXXII, for "3" read "2".

VIII. At page 1132 :

(40) In appendix VI, item 1, for figures "220/132/63/33" read "220/132/66/33".

(41) In item VI (il) line 1, for "t4pes" read "types".

(42) In item VI(ii), line 3, for "princpes" read "principles".

(43) In column 2, item IX, line 3 for the "cirefits" read "circuits".

(44) In item IX, line 5, delete word "breaker".

(45) In item X, for the word "lighting" read "lightning" in all places where word "lighting" comes.

(46) In item XI, line 1 & 2, for word "indications" read "indicators".

(47) In item XI, line 2, for word "music" read "mimic".

(48) Against item XI, read "10".

(49) In item XII(i), line 1, for "amperphour" read "amperehour".

(50) In item XII(i), line 2, for "batberies' read "batteries".

IX. At page 1133 :

(51) Against item XV, read "3".

[No. CM-305/38/81]

ISH KUMAR, Secy. (Central Electricity Board)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 1 सितम्बर 1981

सा०का०नि० 837 :—केन्द्रीय सरकार खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय खाद्य मानक समिति से परामर्श करने के पश्चात् अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का और संशोधन करना चाहती है। जैसा कि उक्त उपधारा में अपेक्षित है प्रस्तावित संशोधनों का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है। इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से नब्बे दिन की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा।

2. ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त प्रारूप की बाबत जो भी आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी।

प्रारूप नियम

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) नियम, 1981 है।

2. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) नियम 42 के उपखंड (ठ) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रखा जाएगा, अर्थात् —

(ठ) करी पाउडर और मसाला—करी पाउडर और मिश्रित मसाले के प्रत्येक पैकेज पर एक लेबल लगा होगा जिसमें भार में उत्पादों के संघटकों का संमिश्रण अवरोही क्रम में दिया जाएगा। यदि मिश्रित मसाला तेल में तला जाता है तो उस पर निम्नलिखित लेबल होगा :

मिश्रित मसाला (तला हुआ)
यह मसाला————————
(प्रयुक्त खाद्य तेल का नाम) में तला गया है

3. उक्त नियमों के परिशिष्ट ख में,

(i) मद क. 05. 01, क. 05. 01. 01, क. 05. 02, क 05 03, क. 05. 03 01, क. 05 03. 02, क 05. 04, क. 05. 04. 01, क. 05 04. 02, क. 05 05, क. 05. 05. 01, क. 05. 06, क 05. 06. 01, क 05. 06. 02, क. 05. 07, क. 05. 07. 01, क 05. 08, क 05 08 01, क. 05. 09, क 05. 09. 01, क 05 10, क. 05 10. 01, क. 05 11, क 05. 11. 01, क. 05. 12, क 05. 12. 01 क 05. 13, क 05 13 01, क. 05. 14, क. 05 14. 01, क. 05 15, क. 05. 15 01, क. 05. 16, क. 05. 16. 01, क. 05. 17, क. 05. 17 01, क. 05. 17 02, क. 05. 17. 03, क. 05. 18 और क. 05 19 के अंत में निम्नलिखित अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

"उसमें मिलाए गए रंजक पदार्थ और सामान्य खाद्य नमक नहीं होंगे".

(ii) मद क. 05. 21 में, "जब कभी सामान्य खाद्य नमक मिलाया जाए तो भारानुसार उसका प्रतिशत लेबल पर घोषित किया जाएगा" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(iii) मद क. 05. 21 के पश्चात्, निम्नलिखित मदें अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् —

"क 05. 21 01—मिश्रित मसाला (साबुत) से स्वच्छ, सूखे और स्वास्थ्यप्रद सुगंधित बूटियों तथा मसाले का मिश्रण अभिप्रेत है। इसमें सूखी सागभाजी और/या फल तिलहन, लहसुन, अदरक, खसखस और करी के पत्ते भी हो सकते हैं। यह मिलाए गए रंजक पदार्थ से मुक्त होगा। यह फफूंदी और कीट ग्रसन से मुक्त होगा। बाह्य पदार्थ का अनुपात भार में पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा जिसमें से कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ का अनुपात क्रमशः तीन प्रतिशत और दो प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।"

मिश्रण में अंतर्विष्ट मसालों के नाम लेबल पर संमिश्रण के अवरोही क्रम में उपदर्शित किए जाएंगे।

(ख) क. 05. 21. 02—मिश्रित मसाला (पाउडर) से स्वच्छ सूखे और स्वास्थ्यप्रद मसालों तथा सुगंधित बूटियों, सूखे फलों और/या सागभाजी, तिलहन, लहसुन, अदरक, खसखस और करी के पत्ते को पीस कर प्राप्त किया गया पाउडर अभिप्रेत है। इसमें कोई भी मिलाया गया रंजक पदार्थ और परिरक्षक नहीं होंगे।

यह गन्धगी, फफूंदी और कीट ग्रसन से रहित होगा। मिश्रण में मसालों और बूटियों तथा तिलहन का अनुपात पचासी प्रतिशत से कम नहीं होगा। इसमें मिलाया गया स्टार्च और सामान्य लवण भी हो सकेगा। मिश्रण में बाह्य स्टार्च का अनुपात भार में दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। इसे खाद्य तेल में भूना जा सकेगा या तला जा सकेगा। यह निम्नलिखित मानकों के अनुरूप होगा :

1. आर्द्रता	भार में 14 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
2 तनूकृत हाईड्रोक्लोरिक अम्ल में अविलेय भस्म	शुष्क आधार पर भार में 2 0% से अधिक नहीं होगी।
3 अपरिष्कृत रेशे	शुष्क आधार पर भार में 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।
4 सीसा	शुष्क आधार पर दस लाख में 10 भाग से अधिक नहीं होगा।

मिश्रित मसाले में अंतर्विष्ट पदार्थों के नाम भार के आधार पर संमिश्रण के अवरोही क्रम में लेबल पर घोषित किए जाएंगे उस खाद्य तेल के नाम का जो मिलाया गया है या जिसमें उत्पाद तला गया है जैसा कि नियम 42 के उपनियम (ठ) में अधिकथित है, लेबल पर भी उल्लेख किया जाएगा।

क 05. 21. 03—गरम मसाला (पाउडर) से केवल स्वच्छ, सूखे और स्वास्थ्यप्रद सुगंधित बूटियों तथा मसालों को पीस कर प्राप्त किया गया पाउडर अभिप्रेत है। इसमें ताजा और सूखे फल या सागभाजी, मिलाया गया स्टार्च या सामान्य खाद्य लवण नहीं होगा। पाउडर गन्धगी, फफूंदी और कीटग्रसन से रहित होगा। इसमें रंजक पदार्थ और परिरक्षक नहीं होंगे। उत्पाद में प्रयुक्त संघटकों के नामों का उल्लेख लेबल पर भार के आधार पर संमिश्रण के अवरोही क्रम में किया जाएगा। यह निम्नलिखित मानकों के भी अनुरूप होगा :

1. आर्द्रता	14 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
2 वाष्पशील तेल	शुष्क आधार पर मात्रा भार में 0 5 प्रतिशत से कम नहीं होगा।
3. अवाष्पशील ईथर निष्कर्षण	शुष्क आधार पर भार में 7. 5 प्रतिशत से कम नहीं होगा।
4. तनूकृत हाईड्रोक्लोरिक अम्ल में अविलेय भस्म	शुष्क आधार पर भार में 2 0 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
5 अपरिष्कृत रेशे	शुष्क आधार पर भार में 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

(iv) मद क 07 03 में, "फ्रक्टोस-ग्लूकोस का अनुपात 0 90 से कम नहीं होगा" शब्दों और अंकों के स्थान पर "फ्रक्टोस/ग्लूकोस का अनुपात 0 95 से कम नहीं होगा" शब्द और अंक रखे जाएंगे,

(v) मद क 18 01 में, "आटा" शब्द के, स्थान पर, "आटा या परिणामी आटा" शब्द रखे जाएंगे।

(vi) मद क 18 07 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"क 18.07-बिस्कुट, जिनके अन्तर्गत वेफर बिस्कुट भी है, मैदा, वनस्पति या परिष्कृत खाद्य तेल अथवा टेबल मक्खन या देसी मक्खन या कृत्रिम मक्खन (या घी) या उनके मिश्रण से बनाए जाएंगे। इनमें निम्नलिखित एक या अधिक संघटक हो सकते है, अर्थात् :—

सामान्य खाद्य नमक, अनुज्ञात प्रति आक्सीकारक, पायसीकारक और स्थायीकारक; अनुज्ञात परिरक्षक और रंग; किण्वनकारक जैसे बेकिंग पाउडर; अमोनियम बोध कार्बोनेट; अमोनियम कार्बेनेट; और मक्खन दुग्ध पाउडर, अनाज और उसके उत्पाद; पनीर सिट्रिक अम्ल; कोका, काफी-निष्कर्ष; खाद्य निर्जलीकृत नारियल; डेक्सट्रोज; फल और फल उत्पाद; सूखे फल और दृढ़ फल; अंडे, खाद्य वनस्पति उत्पाद; एमिलेस और अन्य एन्जाइम, अनुज्ञात सुरुचिकर्मक, सुरुचिवर्धक और फिक्सचर; आटा उन्नयक; अदरक; ग्लूटेन; मूंगफली का आटा; दुग्ध और दुग्ध उत्पाद; मधु; जेली फार्मिंग कारक, द्रव ग्लूकोस; माल्ट उत्पाद, खाद्य तिलहन, आटा और चूरा; गरम मसाले और मसाले; खाद्य स्टार्च जैसे आलू स्टार्च; और खाद्य आटा; चीनी और चीनी उत्पाद; इंवर्ट शुगर गुड़ प्रोटीन सांद्र और अन्य पोषक; सोडियम बाईसल्फेट; सोडियम मेटा-बाइसल्फेट और अन्य डो कंडीशनर, विटामिन, कैल्शियम और फेरस माल्ट, पोटेशियम आयोडाइड, मेलिक और लैक्टिक अम्ल; टार्टरिक अम्ल; सिरका और ऐसेटिक अम्ल; खमीर

बिस्कुट निम्नलिखित मानकों के अनुरूप होंगे, अर्थात् :—

(क) (शुष्क आधार पर) तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अविलेय भस्म 1 0 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा

(ख) निकाली गई वसा की अल्कोहाली (90 प्रतिशत अल्कोहल) अम्लता (ओलिक अम्ल के रूप में 1.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी"

(vii) मद क. 25.02 के पश्चात् निम्नलिखित मदें अन्त:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

चिविंग गम या बबल गम चिविंग गम आधार या बबल गम आधार जैसे बबूल; कीकर (गम अरैबिक) (ऐकेशिया नीलोटिकामन० ऐकेशिया अरैबिका) खैर (ऐकेशिया कैटेचू); झींगा (जैल) (लोनिनआ कारो मेंडलिका), चट्टी (एनोनिसेस लेटीफालिया); चीकू (सोपोटा) (अकरस जपोगा) और महुआ (मधुका लोंगीफोलिया) या प्राकृतिक अथवा सिन्थेटिक नोन-टोक्सिक गम, चीनी और द्रव ग्लूकोस से तैयार किए जाएंगे। इसमें निम्नलिखित संघटकों में से कोई भी सम्मिलित हो सकेगा :

ग्लिसरीन; ग्लिसरोल मोनोस्टीरेट; माल्ट; दुग्ध पाउडर, चाकलेट काफी; जिलेटिन; नोन-टोक्सिक प्राकृतिक या खनिज मोम सारबिटाल; मिलाया गया स्टार्च; सिटिक अम्ल (खाद्य ग्रेड); टार्टरिक अम्ल (खाद्य ग्रेड) और विटामिन प्रोटीन और खनिज आदि जैसे पोषक।

इसमें अनुज्ञात रजक पदार्थ, सुरुचिक, प्रति आक्सीकारक, परिरक्षक, और पायसीकारक हो सकेंगे। यह गंदगी, गदे अपमिश्रकों और हानिकारक पदार्थों से रहित होगा; इसमें टिटानियम डाइआक्साइड (खाद्य ग्रेड) 1% प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक हो सकेगा। यह निम्नलिखित मानकों के भी अनुरूप होगा, अर्थात् —

		चिविंग गम	बबल गम
(i)	गम	भार में 12.5 प्रतिशत से कम नहीं होगा।	भार में 14 0 प्रतिशत से कम नहीं होगा।
(ii)	आर्द्रता	भार म 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।	भार मे 3 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
(iii)	सल्फेट भस्म	भार में 9 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।	भार मे 11 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
(iv)	अम्ल अविलेय भस्म	भार में 2.0 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।	भार में 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
(v)	अपचायक चीनी	भार में 4.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।	भार में 5.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
(vi)	सुक्रोस	भार में 70.0 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।	भार में 60.0 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

[स० पी० 15014/1/79—पी०एच० (एफ० एण्ड एन०) (पी०एफ०ए०)]

जी० पुचपकेशन, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 1st, September, 1981

G.S.R 837.— The following draft of certain rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-section (I) of section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954) after consultation with the Central Committee for Food Standards is hereby published, as required by the said sub-section, for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration on or after the expiry of ninety days from the date of publication of this notification Gazettoe.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified, will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. These rules may be called the Prevention of Food Adulteration (Amendment) Rules, 1981.

2. In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, (here inafter referred to as the said rules), in rule 42, for sub-clause (L), the following clause shall be substituted, namely :—

"(L)—CURRY POWDER AND MASALA—Every package of curry-powder and mixed masala shall beat a label specifying the ingradients of the products in descending order of composition by weight. If mixed masal is fried in oil, it shall bear the following label : —

MIXED MASALA (FRIED)
THIS MASALA HAS BEEN FRIED IN . .
(Name of the edible oil used)

3. In appendix B of the said rules—

(i) in items A. 05.01, A 05.01.01, A. 05.02, A. 05.03, A. 05.03.01, A. 05.03.02, A. 05.04, A. 05.04.0,1 A. 05.04.02, A. 05.05, A..05.05.01, A.70.05.06, A. A. 05.06.01, A.05.06.02, A.05.07, A.05.07.01, A.50.08. A. 05. 8.01, A. 05.09, 05.09.01, A. 05.10, A. 05.10.01, A. 05.11, 05.11.01, A. 05.12, A. 05.12.01, A. 05 13, A. 05.13.01, A. 05.14. A. 05.14.01, A. 05.15 A. 05.15.01 A. 05.16, A.05.16.01 A. 05.17, A. 05 17.01, A. 05.17.02, A. 05.17 .03, A. 05.18, and A. 05 19

the following shall be added at the end :—

"It shall be free from added colouring matter and edible common salt".

(ii) in item A. 05.21, the words "edible common salt is added, its percentage by weight shall be declared on the label Also" shall be omitted;

(lii) after item A. 05.21, the following items shall be inserted, namely :—

"A.05.21.01—Mixed Masala (whole) means a mixture of clean, dried and sound aromatic herbs and spices. It may also contain dried vegetables and/or fruits, oilseeds, garlic, ginger, poppy seeds and curry leaves. It shall be free from added colouring matter. It shall be free from mould growth and insect infestation. The Proportion of extraneous matter shall not exceed five per cent by weight out of which the proportion of organic and inorganic material shall not exceed three per cent and two per cent, respectively.

The names of the spices contained in the mixture shall be indicated on the label in descending order of composition.

A.05.21.02.—Mixed Masala (powder) means the powder obtained by grinding clean, dried and sound spices and aromatic herbs, dried fruits and/or vegetables, oilseeds, garlic, ginger, popp seeds and curry leaves. It shall be free from any added colouring matter and preservative. It shall be free from dirt, mould growth and insect infestation. The proportion of spices and herbs and oilseeds in the mixture shall not be less than eighty five per cent. It may contain added strach and common salt. The proportion of extraneous starch in the mixture shall not exceed ten per cent by weight. It may be roasted or fried in edible oil. It shall conform to the following standards.:—

1. Moisture	Not more than 14 per cent by weight.
2. Ash insolubl: in dilute Hydrochloric acid.	Not more than 2.0 per cent by weight, on dry basis.
3. Crude Fibre.	Not more than 15 per cent by weight, on dry basis.
4. Lead	Not more than 10 part per million on dry basis.

The ingredient contained in the mixed masala shall be declared on the label in the descending order of composition. The name of the edible oil, which has been added or in which the product has been fried shall also be mentioned on the label laid under in sub-rule (L) of rule 42.

A.05.21.03—Garam Masala (Powder) means the powder obtained by grinding clean, dried and sound aromatic herbs and spices only. It shall not contain fruits or vegetables, (fresh or dry) added starch or edible common salt, the powder scall be free from dirt, mould growth and insect infestation. It shall be free from added colouring matter and preservatives. The ingredients used in the product shall be mentioned on the label in descending order of composition. It shall also conform to the following standards:—

1. Moisture	Not more than 14 per cent.
2. Volatile oil extract	Not less than 0.5 per cent volume/ weight on dry basis.
3. Non Volatile either extract	Not less than 7.5 per cent by weight on dry basis.
4. Ash insoluble in dilute hydrochloric acid.	Not more than 2.0 per cent by weight ondry basis.
5. Crude fibre	Not more than 10.0 per cent by weight on dry basis.

(iv) In item A.07.03., for figures "Fructose/Glucose ratio shall not be less than 0.90" the words and figures "Fructose/Glucose ratio shall not be less than 0.95" shall be substitued ;

(v) in item A.18.01, for the word "Atta" the words "Atta or resultant atta" shall be substituted ;

(vi) for item A.18.07—the following item shall be substituted, namely : A.18.07—Biscuits including wafer biscuits shall be made from maida, vanaspati or refined edible oil or table butter or deshi butter or margarine or ghee or their mixture. It may contain any one or more of the following ingredients, namely :—

Edible common salt; permitted anti-oxidants; emulsifying and stabilising agents; permitted preservatives and colours; leavening agents such as baking powder; ammoniun bicarbonate ; ammonium carbonate; butter milk powder ; cereals and their products; Cheese, citric acid cocoa; coffee extract ; edible desiccated coconut ; dextrose ; fruits and fruit products; dry fruits and nuts ; eggs ; edible vegetable products ; anyleses and other onzyaps; permitted flavouring agants; flavour improvers and fixers; flour improvers; ginger, gluton ; groundnut flour ; milk and milk products ; honey; jellyfying agents ; liquid glucose ; malt products ; edible oilseeds ; flour and meals ; spices and condiments edible starches such as potato starch ; and edible floura ; angars and sugar products ; invert sugar ; jaggery ; protain concentrates and other nutrients ; sodium ; bisulphite ; sodium metabizulphite and other dough conditioners, vitamins, calcium and forrous salts ; vitamins, clacium and forrous salts ; pot ssium iodide, malic and lactic acids ; tartaric acid ; vinegar and acetic acid ; yeast.

8. Biscuits shall conform to the following standard, namely:—

(a) Ash insoluble in dilute hydrochloric acid (on dry basis) shall not be more than 1.0 per cent.

(b) Alcoholic (90 percent alcohol) acidity of extracted fat (as oleic acid) shall not exceed 1.5 per cent.

(vii) after item A.25.02 the following items shall be inserted, namely:—

A. 25.02.01 Chewing Gum and Bubble Gum shall be prepared from chewing gum base or bubble gum base like bubul ; Khikar (Gum Arabic) (Acacia nilotica-sin) (Acacia arabica) ; Khair (Acacia Catechu) : Jhingan (Jael) (Leannea coromoandelica) ; Chatti (Angissus latifolia) ; Chiku (Sopota) Achra Zapota) and Mahus (Maduca longifolia) or Natural or synthetic non-toxic gum, sugar and liquid glucose. It may also contain any of the following ingredients:-

Glycering ; glyceral monostearate ; malt ; milk powder ; chocolate ; coffee ; getaine ; non-toxic natural

or mineral waxes ; sorbitol ; added starch ; citric acid (food grade) ; tartaic acid (food grade) ; and nutrients like vitamins, proteins and mineral etc.

It may contain permitted coluring matter, flavours, anti-oxidants, preservatives and emulsifiers. It shall be free from dirt, filth adulterants and harmful ingredients. It may also contain tetanium dioxide (food grade) to a maximum limit of 1 per cent. It shall also conform to the following standards, namely:—

	Chewing Gum	Bubble Gum
(i) Gum	Not less than 12.5, percent by weight.	Not less than 14.0 percent by weight
(ii) Moisture	Not more than 3.5, percent by weight.	Not more than 3.5, percent by weight.
(iii) Sulphated Ash	Not more than 9.5 percent by weight.	Not more than 11.5 percent by weight.
(iv) Acid insoluble ash.	Not more than 2.0, percent by weight.	Not more than 3.5, percent by weight.
(v) Reducing sugar	Not less than 4.5, percent by weight.	Not less than 5.5, percent by weight.
(vi) Sucrose	Not more than 70.0, percent by weight.	Not more than 60.0, percent by weight.

[No. P. 15014/1/79-PH (F&N) (PFA)]

G. PANCHAPAKESAN, Under Secretary

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 1981

सा० का० नि० 838.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चीनी संस्थान कानपुर (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम 1964 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1 (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम—राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती (दूसरा संशोधन) नियम, 1981 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

भारतीय चीनी संस्थान, कानपुर (समूह 'क' और समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 1964 की अनुसूची में, निदेशक चीनी प्रौद्योगिकी प्राचार्य, मुख्य प्रौद्योगिकविद (सलाहकार), मुख्य प्रौद्योगिकीविद (विस्तारण), सहायक निदेशक (सर्वेक्षण और सूचना), मुख्य डिजाइन इंजीनियर चीनी इंजीनियरी प्राचार्य, मुख्य इंजीनियर (सलाहकार) मुख्य इंजीनियर (विस्तारण), प्रबन्धक, चीनी रसायन प्राचार्य, मुख्य रासायनिक इंजीनियर (विस्तारण), रासायनिक इंजीनियरी प्राचार्य, जीव रसायन प्राचार्य, चीनी प्रौद्योगिकी सहायक प्राचार्य, ज्येष्ठ तकनीकी अधिकारी (चीनी प्रौद्योगिकी), ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी (गुड़ और खाडसारी) चीनी इंजीनियरी सहायक प्राचार्य, ज्येष्ठ तकनीकी अधिकारी (इंजीनियरी) (विस्तारण), ज्येष्ठ तकनीकी अधिकारी (इंजीनियरी) (खोई), ज्येष्ठ तकनीकी अधिकारी (इंजीनियरी) (प्रयोगात्मक चीनी कारखाना) चीनी रसायन सहायक प्राचार्य, (चीनी रसायन कार्बनिक) सहायक प्राचार्य, जीव रसायन सहायक प्राचार्य, भौतिक रसायनज्ञ, भौतिक रसायन प्राचार्य और चीनी रसायन (कृषि प्राचार्य के पदों से सम्बंधित क्रम सं० 1 से 5, 7 से 15, 17 से 19क, 21 से 24, 45 और 46 के सामने स्तंभ (6क) में 'हां' प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी।

1 भारत के राजपत्र तारीख 25 जुलाई, 1964 में प्रकाशित सा० का० नि० 1036 तारीख 13 जुलाई, 1964

2 भारत के राजपत्र तारीख 15 अगस्त, 1964 में प्रकाशित सा० का० नि० 1150 तारीख 6 अगस्त, 1964

3 भारत के राजपत्र तारीख 26 सितम्बर 1964 में प्रकाशित सा० का० नि० 1364 तारीख 15 सितम्बर, 1964

4 भारत के राजपत्र तारीख 3 अक्तूबर, 1964 में प्रकाशित सा० का० नि० 1436 तारीख 23 सितम्बर, 1964

5 भारत के राजपत्र तारीख 30 जनवरी, 1965 में प्रकाशित सा० का० नि० 179 तारीख 21 जनवरी, 1965

6 भारत के राजपत्र तारीख 27 फरवरी, 1965 में प्रकाशित सा० का० नि० 306 तारीख 20 फरवरी, 1965

7 भारत के राजपत्र तारीख 4 सितम्बर, 1965 में प्रकाशित सा० का० नि० 1279 तारीख 23 अगस्त, 1965

8 भारत के राजपत्र तारीख 12 फरवरी, 1966 में प्रकाशित सा० का० नि० 333 तारीख 4 फरवरी 1966

9 भारत के राजपत्र तारीख 12 फरवरी, 1966 में प्रकाशित सा० का० नि० 234 तारीख 4 फरवरी, 1966

10 भारत के राजपत्र तारीख 11 जून, 1966 में प्रकाशित सा० का० नि० 899 तारीख 3 जून, 1966

11 भारत के राजपत्र तारीख 19 नवम्बर, 1966 में प्रकाशित सा० का० नि० 1745 तारीख 5 नवम्बर, 1966

12 भारत के राजपत्र तारीख 26 नवम्बर, 1966 में प्रकाशित सा० का० नि० 1805 तारीख 16 नवम्बर 1966

13 भारत के राजपत्र तारीख 29 जुलाई, 1967 में प्रकाशित सा० का० नि० 1140 तारीख 15 जुलाई, 1967

14 भारत के राजपत्र तारीख 27 फरवरी, 1971 में प्रकाशित सा० का० नि० 278 तारीख 13 फरवरी, 1971

15 भारत के राजपत्र तारीख 1 मई, 1971 में प्रकाशित सा० का० नि० 640 तारीख 13 अप्रैल, 1971

16 भारत के राजपत्र तारीख 12 जून, 1971 में प्रकाशित सा० का० नि० 925 तारीख 21 मई, 1971

17 भारत के राजपत्र तारीख 30 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सा० का० नि० 1612 तारीख 7 सितम्बर, 1971

18 भारत के राजपत्र तारीख 17 जनवरी, 1976 में प्रकाशित सा० का० नि० 85 तारीख 29 दिसम्बर, 1975

19 भारत के राजपत्र तारीख 18 दिसम्बर, 1976 में प्रकाशित सा० का० नि० 1755 तारीख 27 नवम्बर, 1976

20 भारत के राजपत्र तारीख 15 जनवरी, 1977 में प्रकाशित सा० का० नि० 79 तारीख 16 दिसम्बर, 1976

21 भारत के राजपत्र तारीख 12 मार्च, 1977 में प्रकाशित सा० का० नि० 339 तारीख 25 फरवरी, 1977

22 भारत के राजपत्र तारीख 31 दिसम्बर, 1977 में प्रकाशित सा० का० नि० 1729 तारीख 14 दिसम्बर, 1977

23 भारत के राजपत्र तारीख 22 अप्रैल, 1978 में प्रकाशित सा० का० नि० 523 तारीख 30 मार्च, 1978

24 भारत के राजपत्र तारीख 29 अप्रैल, 1978 में प्रकाशित सा० का० नि० 566 तारीख 17 अप्रैल, 1978

25 भारत के राजपत्र तारीख 29 अप्रैल, 1978 में प्रकाशित सा० का० नि० 567 तारीख 17 अप्रैल, 1978

26 भारत के राजपत्र तारीख 11 नवम्बर, 1978 में प्रकाशित सा० का० नि० 1340 तारीख 21 अक्तूबर, 1978

27 भारत के राजपत्र तारीख 27 जनवरी, 1979 में प्रकाशित सा० का० नि० 149 तारीख 5 जनवरी, 1979

28 भारत के राजपत्र तारीख 17 फरवरी, 1979 में प्रकाशित सा० का० नि० 277 तारीख 5 फरवरी, 1979

29 भारत के राजपत्र तारीख 17 फरवरी, 1979 में प्रकाशित सा० का० नि० 278 तारीख 5 फरवरी, 1979

30 भारत के राजपत्र तारीख 8 दिसम्बर, 1979 में प्रकाशित सा० का० नि० 1472 तारीख 23 नवम्बर, 1979

31 भारत के राजपत्र तारीख 5 अप्रैल, 1980 में प्रकाशित सा० का० नि० 389 तारीख 21 मार्च, 1980

32 भारत के राजपत्र तारीख 5 अप्रैल, 1980 में प्रकाशित सा० का० नि० 390 तारीख 21 मार्च, 1980

33 भारत के राजपत्र तारीख 13 दिसम्बर, 1980 में प्रकाशित सा० का० नि० 1274 तारीख 26 नवम्बर, 1980

[सं० ए० 26019/1/76 चीनी डेस्क-I]

एन० त्यागराजन, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

New Delhi, the 25th August, 1981

G.S.R. 838.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the National Sugar Institute, Kanpur (Group A and Group B posts) Recruitment Rules, 1964, namely:—

1. (1) These rules may be called the National Sugar Institute, Kanpur (Group A and Group B posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Sugar Institute, Kanpur (Group A and Group B posts) Recruitment Rules, 1964 in the Schedule, against serial numbers 1 to 5, 7 to 15, 17 to 19A, 21 to 24, 45 and 46 relating to the posts of Director, Professor of Sugar Technology, Chief Technologist (Advisory), Chief Technologist (Extension), Assistant Director (Survey and Information), Chief Design Engineer, Prof. of Sugar Engineering, Chief Engineer (Advisory), Chief Engineer (Extension), Manager, Prof. of Sugar Chemistry, Chief Chemical Engineer (Extension), Prof. of Chemical Engineering, Prof. of Bio-Chemistry, Assistant Prof. of Sugar Technology, Senior Technical Officer (Sugar Technology), Senior Research Officer (Gur and Khandsari), Assistant Prof. of Sugar Engineering Senior Technical Officer (Engineering) (Extension), Senior Technical Officer (Engineering) (Bagasse), Senior Technical Officer (Engineering) (Experimental Sugar Factory), Assistant Prof. of Sugar Chemistry, Assistant Prof. of Sugar Chemistry (Organic), Assistant Prof. of Bio-Chemistry, Physical Chemist, Prof. of Physical Chemistry and Prof. of Sugar Chemistry (Agriculture), respectively, in column (6a), the entry "Yes" shall be inserted.

*Footnote

1. G.S.R. 1036 dated 13th July, 1964 published in Gazette of India dated 25th July, 1964.
2. G.S.R. 1150 dated the 6th August, 1964 published in Gazette of India dated 15th August, 1964.
3. G.S.R. 1364 dated the 15th September, 1964, published in Gazette of India dated 26th September, 1964.
4. G.S.R. 1436 dated the 23rd September, 1964 published in Gazette of India dated 3rd October, 1964.
5. G.S.R. 179 dated the 21st January, 1965 published in Gazette of India dated 30th January, 1965.
6. G.S.R. 306 dated the 20th February, 1965 published in Gazette of India dated 27th February, 1965.
7. G.S.R. 1279 dated the 23rd August, 1965 published in Gazette of India dated 4th September, 1965.
8. G.S.R. 233 dated the 4th February, 1966 published in Gazette of India dated 12th February, 1966.
9. G.S.R. 234 dated the 4th February, 1966 published in Gazette of India dated 12th February, 1966.
10. G.S.R. 899 dated 3rd June, 1966 published in Gazette of India dated 11th June, 1966.
11. G.S.R. 1745 dated the 5th November, 1966 published in Gazette of India dated the 19th November, 1966.
12. G.S.R. 1805 dated the 16th November, 1966 published in Gazette of India dated the 26th November, 1966.
13. G.S.R. 1140 dated the 15th July, 1967 published in Gazette of India dated the 20th July, 1967.
14. G.S.R. 278 dated the 10th February, 71 published in Gazette of India dated the 27th February, 1971.
15. G.S.R. 640 dated the 13th April, 1971 published in Gazette of India dated the 1st May, 1971.
16. G.S.R. 925 dated the 21st May, 1971 published in the Gazette of India dated the 12th June, 1971.
17. G.S.R. 1612 dated the 7th September, 1971 published in the Gazette of India dated the 30th October, 1971.
18. G.S.R. 85 dated the 29th December, 1975 published in the Gazette of India dated the 17th January, 1976.
19. G.S.R. 1755 dated the 24th November, 1976 published in Gazette of India dated the 18th December, 1976.
20. G.S.R. 79 dated the 16th December, 1976 published in Gazette of India dated the 15th January, 1977.
21. G.S.R. 339 dated the 25th February, 1977 published in Gazette of India dated the 12th March, 1977.
22. G.S.R. 1729 dated the 14 December, 1977 published in Gazette of India dated the 31st December, 1977.
23. G.S.R. 523 dated the 30th March, 1978 published in Gazette of India dated the 22nd April, 1978.
24. G.S.R. 566 dated the 17th April, 1978 published in Gazette of India dated the 29th April, 1978.
25. G.S.R. 567 dated the 17th April, 1978 published in Gazette of India dated the 29th April, 1978.
26. G.S.R. 1340 dated the 21st October, 1978 published in Gazette of India dated 11th November, 1978.
27. G.S.R. 140 dated the 5th January, 1979 published in Gazette of India dated 27th January, 1979.

28. G.S.R. 277 dated the 5th February, 1979 published in Gazette of India dated 17th February, 1979.

29. G.S.R. 278 dated the 5th February, 1979 published in Gazette of India dated 17th February, 1979.

30. G.S.R. 1472 dated the 23rd November, 1979 published in Gazette of India dated 8th December, 1979.

31. G.S.R. 389 dated the 21st March, 1980 published in Gazette of India dated 5th April, 1980.

32. G.S.R. 390 dated the 21st March, 1980 published in Gazette of India dated 5th April, 1980.

33. G.S.R. 1274 dated the 26th November, 1980 published in Gazette of India dated 13th December, 1980.

[No. A-26019/1/76-Sugar Desk I]
N. THYAGRAJAN, Under Secy.

ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 1981

सा०का०नि० 839.—केन्द्रीय सरकार, कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अखरोट श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1966 का संशोधन करना चाहती है । उक्त धारा की अपेक्षानुसार प्रस्तावित संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात विचार किया जाएगा ।

ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के पूर्व उक्त प्रारूप की बाबत जो भी आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी ।

नियमों का प्रारूप

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अखरोट श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1981 है ।

(2) अखरोट श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1966 में,

(क) नियम 8 में,—

(ख) उपनियम (i) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

(i) छिलके सहित अखरोट की दशा में नई फसल का धूमन प्रतिवर्ष अक्तूबर की 1 से आगामी वर्ष के जनवरी मास के अंतिम दिन तक अनिवार्य नहीं होगा, किन्तु प्रतिवर्ष पहली फरवरी से 30 सितम्बर तक छिलके सहित अखरोट के सभी परिदर्शों का धूमन अनिवार्य होगा ;

(ii) उप नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा "(iv) छिलके सहित अखरोट और छिलका रहित अखरोटों दोनों के धूमन और पात्रों का रोगाणु निरोधक उपचार भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा और प्रत्येक लाट की बाबत नियतिकर्ता या उसके अभिकर्ता द्वारा भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार द्वारा विहित प्ररूप में इस आशय का एक प्रमाणपत्र उस प्राधिकारी को जिसने श्रेणीकरण के समुचित प्रमाणपत्र जारी किए है, पोतपरिदहन की तारीख से 15 दिन के भीतर सबूत के रूप में, प्रस्तुत किया जाएगा कि निर्यात किए गए लाट को विहित अवधि के भीतर मान्यताप्राप्त धूमित द्वारा धूमित किया गया था"

(ख) अनुसूची 2 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी अर्थात् :—

अनुसूची 2

(नियम 3 और 4 देखिए)

भारत के उत्पादित छिलके वाला अखरोट (फगलैस रेजिया) का श्रेणी अभिधान और क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान	आकार न्यूनतम	आवश्यक शर्तें	सहन सीमा
1	2	3	4
भारतीय श्रेष्ठ विशेष	32 मि०मी०	(i) अखरोट चालू वर्ष की फसल के ही होंगे ।	
		(ii) वे जीवित कीटों, भृंगकों, अंडों और तत्समान से मुक्त होंगे	
		(iii) वे सुविकसित, अच्छी तरह धुले या विरंजित होंगे, स्वच्छ और आकर्षक होंगे और उनके छिलके चमकीले होंगे और कृत्रिम रंग से रंगे नहीं होंगे । अखरोट गिरियुक्त रूप में इतने सूखे होंगे जिससे कि गंतव्य स्थान पर पहुंचने पर उनके भार में कमी 1 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी	
		(iv) तोड़े जाने पर वे 90 प्रतिशत टूट जाने चाहिए और उनसे सुस्वाद और सुवासित खाद्य गिरी निकलनी चाहिए ।	
		(v) अदृश्य या आन्तरिक त्रुटियां लाट ऐसे अखरोटों से पूर्णतः मुक्त होगा जिसमें अदृश्यमान त्रुटियां होंगी जैसे गिरी का काला पड़ जाना, तेल रिसना या फूट पड़ना, सड़ना या फफूंदी लगना, खटवास, सिकुड़ना और कीट जीवाणु का संक्रम होना और चूर्ण बनना (आटे के रूप में बनना) लाट के पत्तरीले (कड़े या कठोर) या खोखले अखरोट नहीं होंगे ।	1. अदृश्य मान या आन्तरिक त्रुटियां—10 प्रतिशत पत्तरीले (कड़ा या कठोर) अखरोट 2 प्रतिशत से अनधिक ।

1	2	3	4
		(vi) दृश्यमान या उपरिष्ठ त्रुटिया : लाट ऐसे अखरोटों से पूर्णत मुक्त होगा जिसमे दृश्यमान त्रुटियां दिखाई पड़ती हो अर्थात्—छोटे आकार का होना अशत. विकसित होना या विकसित अखरोट होना, छिलको का नष्ट या चटका हुआ होना, विभक्त होना, या छिद्रित होना, तेल के धब्बे धूप से जलने या झुलसने के चिह्न होना, रसायनिक विरजन के अवशेष रहना और तत्समान। लाट, स्वच्छ अच्छी तरह श्रेणीकृत होगा और विजातीय पदार्थों जैसे—मकड़जाल, छिलके के टुकड़े हल अविशेष कृतक उत्सर्ग, मानवबाल, और तत्समान से मुक्त होगा ।	(ii) दृश्यमान या उपरिष्ठ त्रुटिया—15 प्रतिशत
भारतीय विशेष	20 मि०मी०	(i) अखरोट चालू वर्ष की फसल के ही होंगे । (ii) वे जीवित कीटो, भुगको, अडो और तत्समान से मुक्त होंगे । (iii) वे सुविकसित, अच्छी तरह धुले या विरंजित होंगे, स्वच्छ और आकर्षक होंगे और उनके छिलके चमकीले होंगे और कृत्रिम रंग से रंगे नही होंगे। अखरोट युक्ति युक्त रूप से इतने सूखे होंगे जिससे कि गंतव्य स्थान पर पहुचने पर उनके भार में कमी 1 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । (iv) तोड़े जाने पर वे 90 प्रतिशत टूट जाने चाहिए और उनसे सुस्वाद और सुवासित खाद्य गिरी निकलनी चाहिए ।	2 प्रतिशत से अनधिक
		(v) अदृश्य या आन्तरिक त्रुटियां लाट ऐसे अखरोटो से पूर्णत. मुक्त होगा जिसमें अदृश्यमान त्रुटियां होगी जैसे गिरी का काला पड़ जाना, तेल रिसना या फूट पडना, सड़ना या फफूंदी लगना, खटवास सिकुड़ना और कीट जीवाणु का संक्रम होना और चूर्ण बनना (आटे के रूप में बनना) लाट मे पथरीले (कड़े या गठा) या खोखले अखरोट नही होंगे।	(1) अदृश्यमान या आन्तरिक त्रुटिया—10 प्रतिशत । पथरीले (कड़ा या कट्ठा) अखरोट 2 प्रतिशत से अनधिक ।
		(vi) दृश्यमान उपरिष्ठ त्रुटिया लाट ऐसे अखरोटो से पूर्णत: मुक्त होगा जिसमें दृश्यमान त्रुटियां दिखाई पड़ती हों अर्थात् छोटे आकार का होना अंशत: विकसित होना या विकसित अखरोट होना, छिलको का नष्ट या चटका हुआ होना, विभक्त होना या छिद्रित होना, तेल के धब्बे, धूप से जलने या झुलसने के चिह्न होना, रसायनिक विरंजन के अवशेष रहना और तत्समान । लाट स्वच्छ अच्छी तरह श्रेणीकृत होगा और विजातीय पदार्थों जैसे—मकड़जाल, छिलके के टुकड़े हल अवशेष कृतक उत्सर्ग, मानव बाल, और तत्समान से मुक्त होगा ।	(ii) दृश्यमान या उपरिष्ठ त्रुटिया—15 प्रतिशत। ऐसे अखरोटों के लिए अतिरिक्त सहायता 5 प्रतिशत जिन पर सतह के 50 प्रतिशत क्षेत्र पर हलके धब्बे है ।
भारत—1	26 मि०मी०	(i) अखरोट चालू वर्ष की फसल के ही होंगे । (ii) वे जीवित कीटो, भुंगकों, अंडों और तत्समान से मुक्त होंगे। (iii) वे सुविकसित अच्छी तरह धुले या विरंजित होंगे, स्वच्छ और आकर्षक होंगे और उनके छिलके चमकीले होंगे और कृत्रिम रंग से रंगे नहीं होंगे। अखरोट युक्ति युक्त रूप से इतने सूखे होंगे जिससे कि गंतव्य स्थान पर पहुचने पर उनके भार में कमी 1 प्रतिशत से अधिक नही होगी। (iv) तोड़े जाने पर वे 90 प्रतिशत टूट जाने चाहिए और उनसे सुस्वाद और सुवासित खाद्य गिरी निकलनी चाहिए ।	
		(v) अदृश्य या आन्तरिक त्रुटिया लाट ऐसे अखरोटो से पूर्णत मुक्त होगा जिसमें अदृश्यमान त्रुटिया होगी जैसे गिरी का काला पड़ जाना, तेल रिसना, या फूट पड़ना, सड़ना या फफूंदी लगना, खटवास सिकुड़ना और कीट जीवाणु का संक्रम होना और चूर्ण बनना (आटे के रूप मे बनना) । लाट में पथरीले (कड़े या गठा) या खोखले अखरोट नहीं होंगे।	(i) अदृश्यमान या आन्तरिक त्रुटिया—10 प्रतिशत पथरीले (कड़ा या कट्ठा) अखरोट—2 प्रतिशत से अनधिक ।
		(vi) दृश्यमान या उपरिष्ठ त्रुटिया लाट ऐसे अखरोटो से पूर्णत. मुक्त होगा जिसमें दृश्यमान त्रुटिया दिखाई पड़ती हो अर्थात्—छोटे आकार का होना, छिलकों का नष्ट या चिटका हुआ होना, विभक्त होना या छिद्रित होना, तेल के धब्बे, धूप से जलने, झुलसने के चिह्न होना रसायनिक विरंजन के अवशेष रहना और तत्समान। लाट, स्वच्छ, अच्छी तरह श्रेणीकृत होगा और विजातीय पदार्थों जैसे—मकड़जाल, छिलके के टुकड़े हल अविशेष कृतक उत्सर्ग, मानवबाल, और तत्समान से मुक्त होगा।	(ii) दृश्यमान या उपरिष्ठ त्रुटिया—15 प्रतिशत। ऐसे अखरोटो के लिए अतिरिक्त सहायता 5 प्रतिशत जिन पर सतह के 50 प्रतिशत क्षेत्र पर हलके धब्बे है।

1	2	3	4
भारत—ख	24 मि०मी०	(i) अखरोट चालू वर्ष की फसल के ही होंगे ।	
		(ii) वे जीवित कीटों, भृंगकों, अंडों और तत्समान से मुक्त होंगे ।	
		(iii) वे सुविकसित, अच्छी तरह धुले या विरंजित होंगे, स्वच्छ और आकर्षक होंगे और उनके छिलके चमकीले होंगे और कृत्रिम रंग से रंगे नहीं होंगे । अखरोट युक्तियुक्त रूप से इतने सूखे होंगे जिससे कि गंतव्य स्थान पर पहुंचने पर उनके भार में कमी 1 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।	
		(iv) तोड़े जाने पर वे 90 प्रतिशत टूट जाने चाहिए और सुस्वाद और सुवासित खाद्य गिरी निकलनी चाहिए ।	(i) अदृश्यमान या आन्तरिक त्रुटियां—10 प्रतिशत पथरीले (कड़ा या कट्ठा) अखरोट 2 प्रतिशत से अधिक ।
		(v) अदृश्य या आन्तरिक त्रुटियां लाट ऐसे अखरोटों से पूर्णतः मुक्त होगा जिसमें अदृश्यमान त्रुटियां होंगी जैसे गिरी का काला पड़ जाना, तेल रिसना या फूट पड़ना, सड़ना या फफूंदी लगना, असमान, सिकुड़ना और कीट जीवाणु का सक्रम होना और चूर्ण बनना (आटे के रूप में बनना) । लाट में पथरीले (कड़े या कठा) या खोखले अखरोट नहीं होंगे ।	
		(iv) दृश्यमान या उपरिष्ठ त्रुटियां लाट ऐसे अखरोटों से पूर्णतः मुक्त होगा जिसमें दृश्यमान त्रुटियां दिखाई पड़ती हों, अर्थात् छोटे आकार का होना, अंशतः विकसित होना या विरूपित अखरोट होना, छिलकों का नष्ट या चटका हुआ होना, विभक्त होना, या छिद्रित होना, तेल के धब्बे धूप से जलने या झुलसने के चिह्न होना, रसायनिक विरंजन के अवशेष रहना और तत्समान । लाट, स्वच्छ अच्छी तरह श्रेणीकृत होना और विजातीय पदार्थों जैसे—मकड़जाल, छिलके के टुकड़े हल अवशेष कृतक उत्सर्ग, मानवबाल और तत्समान से मुक्त होगा ।	(ii) दृश्यमान या उपरिष्ठ त्रुटियां—15 प्रतिशत । ऐसे अखरोटों के लिए अतिरिक्त सहायता 5 प्रतिशत जिन पर सतह के 50 प्रतिशत क्षेत्र पर हल के धब्बे है ।
"श्रेणी"	24 मि०मी०	(i) अखरोट चालू वर्ष की फसल के ही होंगे ।	
		(ii) वे जीवित कीटों, भंगकों, अंडों और तत्समान से मुक्त होंगे ।	
		(iii) वे सुविकसित, अच्छी तरह धुले या विरंजित होंगे स्वच्छ और आकर्षक होंगे और उनके छिलके चमकीले होंगे और कृत्रिम रंग से रंगे नहीं होंगे । अखरोट युक्तियुक्त रूप में इतने सूखे होंगे जिससे कि गंतव्य स्थान पर पहुंचने पर उनके भार में कमी एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।	
		(iv) तोड़े जाने पर वे 90 प्रतिशत टूट जाने चाहिए और उनमें सुस्वाद और सुवासित खाद्य गिरी निकलनी चाहिए ।	
		(v) अदृश्य या आन्तरिक त्रुटियां लाट ऐसे अखरोटों से पूर्णतः मुक्त होंगी जिसमें अदृश्यमान त्रुटियां होंगी जैसे गिरी का काला पड़ जाना, तेल रिसना या फूट पड़ना, सड़ना या फफूंदी लगना, खदवास, सिकुड़ना और कीट जीवाणु का सक्रम होना और चूर्ण बनना (आटे के रूप में बनना) लाट के पथरीले (कड़े या कठा) या खोखले अखरोट नहीं होंगे ।	
		(vi) दृश्यमान या उपरिष्ठ त्रुटियां लाट ऐसे अखरोटों से पूर्णतः मुक्त होगा जिसमें दृश्यमान त्रुटियां दिखाई पड़ती हों अर्थात्:—छोटे आकार का होना, अंशतः विकसित होना या विरूपित अखरोट होना, छिलकों का नष्ट या चटका हुआ होना, विभक्त होना, या छिद्रित होना, तेल के धब्बे धूप से जलने या झुलसने के चिह्न होना, रसायनिक विरंजन के अवशेष रहना और तत्समान । लाट, स्वच्छ अच्छी तरह श्रेणीकृत होगा और विजातीय पदार्थ जैसे—मकड़जाल, छिलके के टुकड़े हल अविशेष कृतक उत्सर्ग मानवबाल और तत्समान से मुक्त होगा ।	

उपर्युक्त में न आने वाले श्रेणी अभिधानों और क्वालिटी के लिए सविदानुसार "×" श्रेणी, जो, भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार के या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी के अनुमोदन के अधीन होगी ।

टिप्पण—सहायता की गणना के लिए सभी प्रतिशत गिनती के आधार पर होंगे ।

(ग) अनुसूची 3 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी अर्थात्:—

अनुसूची 3

(नियम 3 और 4 देखिए)

भारत के उत्पादित छिलके रहित अखरोट (जुगलेस रेजिया) का श्रेणी अभिधान और क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान	रंग	आकार	आवश्यक शर्तें	सहन सीमा
1	2	3	4	5
1 भारतीय हल्के अद्धे	हल्के बादामी या हल्के सुनहरे पीले	पूर्णतः, अद्धे अर्थात् पूरी तरह विकसित गिरी के बिना नुकसान हुए पृथक बीज पत्र	गिरी (i) चालू वर्ष की फसल की ही होगी (ii) सड़ी और फफूंदी युक्त गिरी मकड़जाली, कुनक उत्सर्ग, मानवबाल, जीवित कीट, भृगकों या अंडों, छिलके के टुकड़ों, लकड़ी के टुकड़ों, भूसी और अन्य विजातीय पदार्थों से मुक्त होगी, (iii) खाने योग्य, प्रीतकर स्वाद और सुगंध वाली होगी (iv) अंशतः या पूर्णतः सिकुड़े या मुरझाए निलयाए काले हुए, झुलसे हुए, धूप से जले, कीड़ा खाए, विकृत गंधी, कड़ुए, अत्यधिक तेल वाले या अस्वाद्य, गंदे या दोषयुक्त गिरी से युक्त-युक्त रूप से मुक्त होंगे । (v) पैक करते समय अखरोट के चूर्ण या आटे से मुक्त होगी । (vi) समुचित रूप से सत्याधित (अर्थात् दक्षतापूर्वक सुखाई गई) होंगी जिससे कि वे गंतव्य स्थान पर अच्छी स्वास्थ्यप्रद स्थिति में पहुंच सके और गंतव्य स्थान पर पहुंचने पर उनके भार में कमी एक प्रतिशत से अधिक न हो सके ।	1. रंग : 10 प्रतिशत गाढ़े रंग के जिन में से 2 प्रतिशत से अनधिक हल्के अंबर या हल्के गाढ़े लाल (टेन) रंग के होंगे । 2 आकार इकार्नी (पूर्ण अद्धे तीन चौथाई) 13 प्रतिशत, जिसमें 3. अन्य त्रुटियों :– (मद) (i) के सामने यथा वर्णित–1 प्रतिशत
2. भारतीय विशेष छोटे हल्के अद्धे	हलके मक्खनी या हलके सुनहरे पीले	पूर्ण अद्धे किन्तु आकार में बहुत छोटे (लम्बाई या चौड़ाई के अनुसार अधिकतम 24 मि०मी०)	भारतीय हल्के अद्धे के लिए अधिकथित के अनुसार	1. रंग : जैसा भारतीय हलके अद्धे की दशा में है । 2. आकार : जैसा भारतीय हल्के अद्धे की दशा में है । साइज से बड़े आकार की गिरी 25 मि०मी० चौड़ाई से अधिक नहीं होगी । आकार से बड़ी गिरी के लिए अतिरिक्त छूट 5 प्रतिशत है । यह आकार त्रुटियों के लिए दी गई 13 प्रतिशत सहायता के अलावा होगी । 3 अन्य त्रुटियां : भारतीय हलके अद्धे के अनुसार ।
3. भारतीय हलके चतुर्थांश	हलके मक्खनी या हलके सुनहरे पीले	पूर्ण अद्धे का तीन चौथाई और चतुर्थांश से कम (लम्बाई में पूर्ण अद्धे का आधा)	जैसा भारतीय हलके अद्धे के लिए अधिकथित है ।	1 रंग : 10 प्रतिशत गाढ़े का, जिसमें से 2 प्रतिशत से अनधिक हलके अंबर या हलके लाल (टेन) रंग के होंगे । 2. आकार : आकार त्रुटि 13 प्रतिशत, जिसका अवचूर्ण एक प्रतिशत से अधिक न हो । 3 अन्य त्रुटियां—स्तम्भ 4 के अधीन मद सं० (iv) के–सामने वर्णित किए गए अनुसार ।
4. भारतीय हलके टूटे हुए टुकड़े (बड़े)	हलके मक्खनी या हलके सुनहरे पीले	पूर्ण अद्धे का तीन चौथाई और टुकड़ों में 7.00 मि० मी० की छलनी में से न निकल सके ।	जैसा भारतीय हलके अद्धे के लिए अधिकथित है ।	1 रंग : भारतीय हलके अद्धे के अनुसार । 2. आकार : 13 प्रतिशत जिसमें अवचूर्ण एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । 3. अन्य त्रुटियां : भारतीय हलके अद्धे के अनुसार

1	2	3	4	5
5. भारतीय हलके टुकड़े (छोटे)	हलके मक्खनी या हलके सुनहरे पीले	पूर्ण अर्द्ध का चतुर्थांश जो अवचूर्ण से बड़े टुकड़ों में हो अर्थात् वे 4.5 मि० मी० की छलनी में से न निकल सकें।	जैसा कि भारतीय हलके अर्द्ध के लिए अधिकथित है। इसके अतिरिक्त लाट अवचूर्ण से युक्ति युक्ततः मुक्त होगा।	1. रंग : भारतीय हलके अर्द्ध के अनुसार। 2. आकार : टुकड़ों (बड़े) का 25 प्रतिशत जिसमें अवचूर्ण 2 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
6. भारतीय हलका अवचूर्ण	हलका मक्खनी या हलका सुनहरा पीला	छाली गई गिरी के या हलकी गिरी की पूर्ववर्ती श्रेणियों से बनाए गए सूक्ष्मतम टुकड़े जो 3.00 मि०मी० की छलनी में से न निकल सकें।	जैसा कि भारतीय हलके अर्द्धों के लिए अधिकथित है। इसके अतिरिक्त लाट बड़े और छोटे टुकड़ों से और गिरी के बहुत सूक्ष्म कणों से भी युक्ति युक्त रूप से मुक्त होगा।	1. रंग : भारतीय हलके अर्द्ध के अनुसार। 2. आकार 3.00 मि०मी० से छोटे आकार के टुकड़े 2 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे। 3. अन्य त्रुटियां : भारतीय, हलके अर्द्ध के अनुसार।
7. भारतीय हलके अम्बर अर्द्ध	हलका अम्बर या हलका लाल (टेन)	जैसा कि भारतीय हलके अर्द्ध के लिए अधिकथित है।	जैसा कि भारतीय हलके अर्द्ध के लिए अधिकथित है।	1. रंग : श्रेणी रंग से 10 प्रतिशत गाढ़ा, जिसमें से 2 प्रतिशत से अनधिक अम्बर या बादामी (टेन) रंग से गाढ़ा नहीं होगा। 2. आकार : भारतीय हलके अर्द्ध के अनुसार। 3. अन्य त्रुटियां : भारतीय हलके अर्द्ध के अनुसार।
8. भारतीय हलके अम्बर चतुर्थांश	हलका अम्बर या हलका लाल (टेन)	पूर्ण अर्द्ध का तीन चौथाई और चतुर्थांश तक (जो लम्बाई में पूर्ण अर्द्ध का आधा होगा)	जैसा कि भारतीय हलके अर्द्ध के लिए अधिकथित है।	1. रंग : श्रेणी रंग से 10 प्रतिशत अधिक गाढ़ा जिसमें से 2 प्रतिशत से अनधिक अम्बर या बादामी (टेन) रंग से अधिक गाढ़ा नहीं होगा। 2. आकार : भारतीय हलके चतुर्थांश के अनुसार। 3. अन्य त्रुटियां : भारतीय हलके चतुर्थांश के अनुसार।
9. भारतीय हलके अम्बर टूटे हुए टुकड़े (बड़े)	हलका अम्बर या हलका लाल (टेन)	जैसा कि भारतीय हलके टूटे हुए टुकड़े (बड़े) के लिए अधिकथित है।	जैसा कि भारतीय हलके अर्द्ध के लिए अधिकथित है।	1. रंग : जैसा कि भारतीय हलके अम्बर अर्द्ध के लिए अधिकथित है। 2. आकार : जैसा कि भारतीय हलके टूटे हुए टुकड़े (बड़े) के लिए अधिकथित है। 3. अन्य त्रुटियां : भारतीय हलके अर्द्ध के लिए अधिकथित है।
10. भारतीय हलके अंबर टुकड़े (छोटे)	हलका अम्बर या हलका (टेन)	जैसा कि भारतीय हलके टुकड़ों (छोटे) के लिए अधिकथित है।	जैसा कि भारतीय हलके टुकड़े (छोटे) के लिए अधिकथित है।	1. रंग : जैसा कि भारतीय हलके अम्बर अर्द्धों के लिए अधिकथित है। 2. आकार : भारतीय हलके टुकड़े (छोटे) के अनुसार। 3. अन्य त्रुटियां : भारतीय हलके अर्द्ध के अनुसार।
11. भारतीय हलका अम्बर अवचूर्ण	हलका अम्बर या हलका लाल (टेन)	जैसा कि भारतीय हलका अवचूर्ण के लिए अधिकथित है सिवाय इसके कि इस श्रेणी को पूर्वगामी हलके अम्बर श्रेणियों में से छाला गया है या उससे बनाया गया	जैसा कि भारतीय हलके अवचूर्ण के लिए अधिकथित।	1. रंग : जैसा कि भारतीय हलके अम्बर अर्द्ध के लिए अधिकथित है। 2. आकार : जैसा कि भारतीय हलका अवचूर्ण के लिए अधिकथित है। 3. अन्य त्रुटियां : जैसा कि भारतीय हलके अर्द्ध के लिए अधिकथित है।

1	2	3	4	5
12. भारतीय बादामी अद्धे	बादामी (टेन) या अम्बर	जैसा कि भारतीय हलके अद्धे के लिए अधिकथित है।	जैसाकि भारतीय हलके या अद्धे के लिए अधिकथित है।	1. रंग : बादामी (टेन) या अम्बर और यह विलय गिरी से 10 प्रतिशत अधिक गाढ़ा। 2. आकार . भारतीय हलके अद्धे के अनुसार। 3. अन्य त्रुटियां : भारतीय हलके अद्धे के अनुसार।
13 भारतीय बादामी (टेन) चतुर्थांश	बादामी (टेन) या अम्बर	पूर्ण अद्धे का तीन चौथाई और चतुर्थांश तक पूर्ण अद्धों का लम्बाई से आधा।	जैसा कि भारतीय हलके अद्धो के लिए अधिकथित है।	1. रंग : बादामी (टेन) अम्बर और या विलय गिरी से 10 प्रतिशत अधिक गाढ़ा। 2. आकार : भारतीय हलके चतुर्थांश के अनुसार। 3. अन्य त्रुटियां : भारतीय हलके चतुर्थांश के अनुसार।
14. भारतीय बादामी टूटे हुए टुकड़े (बड़े)	बादामी (टेन) या अम्बर	जैसा कि भारतीय हलके टूटे हुए टुकड़ों (बड़े) के लिए अधिकथित है।	जैसा कि भारतीय हलके अद्धे के लिए अधिकथित है।	1. रंग : जैसा भारतीय बादामी अद्धे के लिए अधिकथित है। सहायता सीमा 6 प्रतिशत। 2. आकार : जैसा भारतीय हलके टूटे हुए टुकड़े (बड़े) के लिए अधिकथित हैं। 3. अन्य त्रुटियां : जैसा कि खण्ड 4 के अधीन भारतीय हलके अद्धों के लिए मद (1) के सामने वर्णित है 6 प्रतिशत जिसमें खटवास, तेल भरे और अमाध गिरी 4 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी।
15. भारतीय बादामी अवपूर्ण (छोटे)	बादामी (टेन) या अम्बर	जैसा कि भारतीय हलके टुकड़े (छोटे) के लिए अधिकथित	जैसा कि भारतीय हलके टुकड़े (छोटेले के लिए अधिकथित है।	1. रंग जैसा भारतीय बादामी अद्धों के लिए अधिकथित है। 2. आकार : भारतीय हलके टुकड़े (छोटे) के अनुसार। 3. अन्य त्रुटियां . भारतीय हलके अद्धे के अनुसार।
16 भारतीय बादामी अवपूर्ण	बादामी (टेन) या अम्बर	जैसा कि भारतीय हलका अवपूर्ण के लिए अधिकथित है, सिवाय इसके कि यह श्रेणी बादामी गिरी की पूर्वगामी श्रेणियों में से छाली गई हैं या बनाई गई है।	जैसा कि भारतीय हलका अवपूर्ण के लिए अधिकथित है।	1. रंग : जैसा कि भारतीय बादामी अद्धे के लिए अधिकथित है। 2. आकार : भारतीय हलके टुकड़े के लिये अधिकथित है। 3 अन्य त्रुटियां : जैसा भारतीय हलके अद्धे के लिए अधिकथित है।
17. भारतीय *श्रेणी	रंग और आकार क्रेताओं की अपेक्षाओं के अनुसार और भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी (अधिकारियों) द्वारा अनुमोदित।		जैसा भारतीय हलके अद्धे के लिए अधिकथित है और ऐसी अन्य शर्तें जो भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी (अधिकारियों) द्वारा अनुमोदित की जाएं।	1 रंग और 2. आकार : जैसा जैसा अधिकथित करे और भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी (अधिकारियों) द्वारा अनुमोदित की जाए। 3 अन्य त्रुटियां : भारतीय हलके अद्धे के अनुसार।

विजातीय पदार्थ : विजातीय पदार्थ, जिसके अन्तर्गत लकड़ी के टुकड़े भूमी गन्धगी अखरोट का आटा, छिलके के टुकड़े आदि हैं, के लिए अधिकतम सहायता भार 0.25 या $\frac{1}{4}$ प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण : सभी सहायता भार के आधार पर संगणित की जाएगी।

[सं० फा-10-14/79-ए०एम०]

गन्धर्व सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF RURAL RECONSTRUCTION

New Delhi, the 25th August, 1981

G.S.R. 839.—The following draft to amend the Walnuts Grading and Marking Rules, 1966, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937), is hereby published as required by the said section for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of 45 days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft before the period specified above shall be considered by the Central Government

DRAFT RULES

(1) These rules may be called the Walnuts Grading and Marking (Amendment) Rules, 1981.

(2) In the Walnuts Grading and Marking Rules, 1966,—

(a) in rule 8—

(i) for sub-rule (i), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(i) Fumigation of new crop on end from the 1st October of each year to the last day of January of the succeeding year in the case of in-shell walnuts shall not be compulsory, but on and from the 1st of February to the 30th September each year, fumigation of all consignments of in-shell walnuts shall be compulsory.";

(ii) for sub-rule (iv), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(iv) Fumigation of both in-shell and shelled walnuts and prophylaction treatment of containers shall be undertaken in accordance with the instructions issued from time to time by the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India and a certificate to this effect shall be produced by the exporter or his agent in respect of each lot in the form prescribed by the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India to the authority who issued the relevant certificate of Grading within 15 days from the date of shipment as proof that the exported lot was fumigated by the recognised fumigator within the prescribed period.";

(b) for Schedule II, the following Schedule shall be substituted, namely :—

SCHEDULE II

(See rules 3 and 4)

Grade designation and definition of quality of In-shell Walnuts (Fuglans regio) produced in India.

Grade Designation	Size Minimum	Essential Conditions	Tolerance Limit
1	2	3	4
Indian Super Special	32 mm.	(i) The walnuts shall be of the current year cropoonly. (ii) They shall be free from live pests, grubs, eggs and the like. (iii) They shall be well developed, well washed or bleached, shall present a clean and attractive appearance and shall have bright shells and free from artificial colouring. The nuts shall be reasonably dry so that the loss in weight shall not exceed 1 per cent, on arrival at destination. (iv) They shall give over 90 per cent good cracking and yield edible kernels of agreeable taste and aroma. (v) Invisible or internal defects : The lot shall be fairly free from nuts having invisible defects like kernel darkening, oilseepage or bleeding, mould or fungus attack rancidity, Shrivelling and insect-pest infestation and powdering (meal formation). The lot shall not contain stony (Hard or Katha) or empty nuts. (vi) Visible or suprficial defects : The lot shall be fairly free from nuts showing visible defects like under-sized, partially developed or deformed nuts, damaged or cracked shell, splits or perforationts oil stains, sub-burns or blight marks, residue of chemical bleaches, and the like. The lot shall be clean, well graded and fairly free from foreign matter like cob-webs, shell grits, hull remains, rodent excreta, human hair and the like.	(i) Invisible or internal defects —10 per cent, stony nuts (Hard or Katha) not exceeding 2 per cent. (ii) Visible or superficial defects —15 per cent.
Indian Special	30 mm.	(i) The walnuts shall be of the current year crop only. (ii) They shall be free from live pests, grubs, eggs and the like. (iii) They shall be well developed, well washed or bleached, shall present a clean and attractive appearance and shall have bright shells and free from artificial colouring. The nuts shall be reasonably dry so that the loss in weight shall not exceed 1 percent, on arrival at destination. (iv) They shall give over 90 per cent good cracking and yield edible kernels of aggreeable taste and aroma.	

1	2	3	4
		(v) Invisible or internal defects The lot shall be fairly free from nuts having invisible defects like kernel darkening, oilseepage or beeding, mould or fungus attack, rancidity, shrivelling and insect-pest infestation and powdering (meal formation) The lot shall not contain stony (hard or Katha) or empty nuts	(i) Invisible or internal defects— 10 per cent, stony nuts (hard or Katha) not exceeding 2 per cent
		(vi) Visible or superficial defects The lot shall be fairly free from nuts showing visible defects like under-sized, partially developed or deformed nuts, damaged or cracked shell, splits or perforations oil stains, sun-burns or blight marks, residue of chemical bleaches and the like The lot shall be clean, well graded and fairly free from foreign matter like cob-webs, shell grits, hull remains rodent excreta, human hair and the like	(ii) Visible superficial defects— 15 per cent An additional tolerance of 5 per cent for nut having "Hull Stains" not exceeding 50 per cent of the sheel surface area
India—I	26 mm	(i) The walnuts shall be of the current year crop only	
		(ii) They shall be free from live pests, grubs, eggs and the like	
		(iii) They shall be well developed, well washed or bleached, shall present a clean and attractive appearance and shall have bright shells and free from artificial colourings The nuts shall be reasonably dry so that the loss in weight shall not exceed 1 per cent, on arrival at destination	
		(iv) They shall give over 90 per cent good cracking and yield edible kernels of aggreable taste and aroma	
		(v) Invisible or internal defects The lost shall be fairly free from nuts having invisible defects like kernal darkening, oil seepage or bleeding, mould or fungus attack rancidity, shrivelling and insect-pest infestation and powdering (meal formation) The lot shall not contain stony (hard or Katha) orempty nuts	(1) Invisible or internal defects— 10 per cent, stony nuts (hard or Katha) not exceeding 2%
		(vi) Visible or superficial defects The lot shall be fairly free from nuts showing visible defects like under-sized, partially developed or deformed nuts, damaged or cracked shell spits or perforations, oil stains, sun-burns or blight marks, residue of chemical bleaches, and the like The lot shall be clean, well graded and fairly free from foreign matter like cob-webs, shell grits, hull remains, rodent excreta, human hair and the like	(ii) Visible superficial defects— 15 per cent An additional tolerance of 5 per cent or nuts having "Hull stains" not exceeding 50 per cent of the shell surface area.
India—B	24 mm	(i) The walnuts shall be of the current year crop only	
		(ii) They shall be free from live pests, grubs, eggs and the like	
		(iii) They shall be well developed, well washed or bleached, shall present a clean and attractive appearance and shall have bright shell and free from artificial colouring The nuts shall be reasonably dry so that the loss in weight shall not exceed 1 per cent on arrival at destination	
		(iv) They shall give over 90 per cent good cracking and yield edible kernels of agreeable taste and aroma	
		(v) Invisible or internal defects The lot shall be fairly free from nuts having invisible defects like kernel darkening, oil seepage or bleeding mould or fungus attack, rancidity, shrivelling and insect-pest infestation and powdering (meal formation) The lot shall not contain stony (hard or Katha) or empty nuts	(i) Invisible or internal defects— 10 per cent, stony nuts (hard or Katha) not exceeding 2 per cent
		(vi) Visible or superficial defects The lot shall be fairly free from nuts showing visible defects like under-sized, partially developed or deformed nuts, damaged or cracked shell, splits or perforations, oil stains, sun-burns or blight marks, residue of chemical bleaches and the like The lot shall be clean, well graded and fairly free from foreign matter like cob-webs, shell grits, hull remains, rodent excreta, human hair and the like	(ii) Visible superficial defects— 15 per cent An additional tolerance of 5 per cent of nuts having "Hull stains" not exceeding 50 per cent of the shell surface area

1	2	3	4
XGrade*	24 mm.	(i) The walnuts shall be of the current year crop only. (ii) They shall be free from live pests, grubs eggs and the like. (iii) They shall be well developed, well washed or bleached, shall present a clean and attractive appearance and shall have bright shell and free from artificial colouring. The nuts shall be reasonably dry so that the loss in weight shall not exceed 1 per cent on arrival at destination. (iv) They shall give over 90 per cent good cracking and yield edible kernels of agreeable taste and aroma. (v) Invisible or internal defects : The lot shall be fairly free from nuts having invisible defects like kernol darkening, oilseepage or bleeding, mould or fungus attack, rancidity, shrivelling and insect-pest infestation and powdering (meal formation). The lot shall not contain stony (hard or Katha) or empty nuts. (vi) Visible or superficial defects : The lot shall be fairly free from nuts showing visible defects like under-sized, partially developed or deformed nuts, damaged or cracked shell, splits or perforations, oil stains, sun-burns or blight marks, residue of chemical bleaches and the like. The lot shall be clean, well graded and fairly free from foreign matter like cob-webs, shell grits, hull remains, rodent excreta, human hair and the like.	

"X" Grade as per contract for grade designations and qualities not covered above, subject to approval by the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India or the officer authorised by him in this behalf.

NOTE :— All percentages for calculating tolerance shall be on the basis of count.

(C) for Schedule III, the following schedule shall be substituted, namely:—

SCHEDULE III

(See rules 3 and 4)

Grade designations and definition of quality of shelled walnuts (Juglans regia) produced in India.

Grade designation	Colour	Size	Essential conditions	Tolerance limit.
1	2	3	4	5
1. Indian Light Halves	Light creamy or light golden yellow	Complete halves, i.e., undamaged separate cotyledons of fully developed kernels.	The kernels shall be :— (i) of the current year crop only; (ii) free from diseased and mouldy pieces, cobwebs, rodent excreta, humanhair, livepests, grubs or eggs, shell-grit, wood-splinters, husk and other goreign matter; (iii) edible, having agreeable taste and aroma; (iv) reasonably free from partially or wholly shrunken or shrivelled oilbled, darkened, blighted, sun-burnt, worm eaten, rancid, bitter, excessively oily or unpalathable, tainted or blemished kernels; (v) free from walnut-meal or flour at the time of packing; (vi) properly cured (i.e., efficiently dried) so that they reach the destination in good sound condition and the loss in weight on arrival at destination may not exceed 1 per cent.	1. Colour : 10 per cent darker of which not more than 2 per cent shall be darker than light amber or light tan; 2. Size : Ecornee (three quarters of complete halves) 13 per cent of which not more than 5 per cent kern shall be smaller than 'Pieces' (large). 3. Other defects: As detailed against item (iv) 4 per cent.

1	2	3	4	5
2. Indian Special Small Light Halves	Light creamy or light golden yellow	Complete halves but very small in size (maximum 24 m.m., either length or breadth wise).	As laid down for Indian Light Halves.	1. Colour: As in the case of Indian light halves. 2. Size: As in the case of Indian light halves. The over sized kernels shall not exceed 26 m.m. in breadth. The extra allowance for over sized kernels is 5 per cent, This is in addition to 13 per cent tolerance given for size defects. 3. Other defects: As in the case of Indian Light Halves.
3. Indian Light Quarters	Light creamy or light golden yellow	Three quarters of complete halves and down to quarters (longitudinal halves of complete halves)	As laid down for Indian Light Halves.	1. Colour: 10 per cent darker of which not more than 2 per cent shall be of darker than light Amber or light tan; 2. Size: Size defects 13 per cent of which the crumbs not to exceed 1 per cent. 3. Other defects: As detailed against item (iv) under column (4)–4 per cent.
4. Indian Light Brokens/ Pieces (Large)	Light creamy or light golden yellow	Three quarters of complete halves and down to pieces which shall not pass through 7.00 mm. sieve.	As laid down for Indian Light Halves.	1. Colour: As in the case of Indian Light Halves. 2. Size: 13 per cent of which crumbs not to exceed 1 per cent. 3. Other defects: As in the case of Indian Light Halves.
5. Indian Light Pieces (Small)	Light creamy or light golden yellow	One quarter of complete halves down to pieces larger than crumbs, i.e. they shall not pass through a 4.5 mm. sieve.	As laid down for Indian Light Halves. In addition, the lot shall be reasonably free from 'Crumbs'.	1. Colour: As in the case of Indian Light Halves. 2. Size: 25 per cent of 'Pieces' (large) of which crumbs not to exceed 2 per cent. 3. Other defects: As in the case of Indian Light Halves.
6. Indian Light Crumbs	Light creamy or light golden yellow	Smallest pieces of kernels sieved out or made from the foregoing grades of light kernels which shall not pass through a 3.00 mm. sieve.	As laid down for Indian Light Halves. In addition the lot shall be reasonably free both from large and small 'Pieces' and also from very minute particles of kernels.	1. Colour: As in the case of Indian Light Halves. 2. Size: Pieces smaller than 3.00 mm. shall not be more than 2 per cent. 3. Other defects: As in the case of Indian Light Halves.
7. Indian Light Amber Halves	Light amber or light tan	As laid down for Indian Light Halves.	As laid down for Indian Light Halves.	1. Colour: 10 percent darker than the grade colour of which not more than 2 per cent shall be darker than amber or brown (tan). 2. Size: As in the case of Indian Light Halves. 3. Other defects: As in the case of Indian Light Halves.
8. Indian Light Amber Quarters	Light ambar or light tan	Three quarters of complete halves and down to quarters (longitudinal halves of complete halves.	As laid down for Indian light halves.	1. Colour: 10 per cent darker than the grade colour of which not more than 2 per cent shall be darker than amber or brown (tan). 2. Size: As in the case of Indian Light quarter. 3. Other defects: As in the case of Indian light quarter.

1	2	3	4	5
9. Indian Light Amber Broken Pieces (Large)	Light amber or light tan	As laid down for Indian Light Brokens/Pieces (large).	As laid down for Indian Light Halves	1. Colour: As laid down for Indian Light Amber Halves. 2. Size: As laid down for Indian Light Brokens/Pieces (large). 3. Other defects: As laid down for Indian Light Halves.
10. Indian Light Amber Pieces (Small)	Light amber or light tan	As laid down for Indian light pieces (small).	As laid fown for Indian Light Pieces (small).	1. Colour: As laid down for Indian Light Amber Halves. 2. Size: As in the case of Indian Light Pieces (small). 3. Other defects: As in the case of Indian Light Halves.
11. Indian Light Amber Crumbs.	Light amber or light tan.	As laid down for Indian light crumbs except that this grade is sieved,out or made from the foregoing grades of light Amber.	As laid down for Indian Light Crumbs.	1. Colour: As laid down for Indian Light Amber Halves. 2. Size: As laid down for Indian Light Crumbs. 3. Other defects: As laid down for Indian Light Halves.
12. Indian Brown Halves	Brown (tan) or amber	As laid down for Indian Light Halves.	As laid down for Indian Light Halves.	1. Colour: 10 per cent darker than brown (tan) or amber and/or off coloured kernels. 2. Size: As in the case of Indian Light Halves. 3. Other defects: As in the case of Indian Light Halves.
13. Indian Brown Quarters	Brown (tan) or amber	Three quarters of complete halves and down to quarters (longitudinal halves of complete halves).	As laid down for Indian Ligbt Halves.	1. Colour: 10 per cent darker than Brown (tan) or amber and/or off coloured kernels. 2. Size: As in the case of Indian Light quarters. 3. Other defects: As in the case of Indian Light quarters.
14. Indian Brown Brokens/ Pieces (large)	Brown (tan) or amber	As laid down for Indian Light Brokens/Pieces (large).	As laid down for Indian Light Halves.	1. Colour: As laid down for Indian Brown Halves. Tolerance limit 6 per cent. 2. Size: As laid down for Indian Light Brokens/Pieces (large). 3. Other defects: As detailed against item (iv) for Indian Light Halves under column (4): 6 per cent of which rancid, oilbled and unpalatable kernels not to exceed 4 per cent.
15. Indian Brown Pieces (small)	Brown (tan) or amber	As laid down for Indian Light Pieces (small).	As laid down for Indian Light Pieces (small).	1. Colour: As laid down for Indian Brown Halves. 2. Size: As in the case of Indian Light Pieces (small). 3. Other defects: As in the case of Indian Light Halves.
16. Indian Brown Pieces	Brown (tan) or amber	As laid down for Indian Light crumbs except that this grade is sieved out or made from the foregoing grades of Brown kernels.	As laid down for Indain Light Crumbs.	1. Colour: As laid down for Indian Brown Halves. 2. Size : As laid down for Indian Light Crumbs. 3. Other defects: As laid down for Indian Light Halves.

1	2	3	4	5
17. Indian 'X' grade	Colour and size as per require ments of the buyers and approved by the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India or the officer(s) authorised by him in this behalf.		As laid down for Indian Light Halves and such other conditions as may be approved by the Agricultural Marketing Adviser to the Govt. of India or the officer(s) authorised by him in this behalf.	1. Colour and 2. Size: As laid down by the buyers and approved by the Agricultural Marketing Adviser to the Govt. of India or the officer(s) authorised by him in this behalf. 3. Other defects: As in the case of Indian Light Halves.

Foreign matter: Maximum tolerance for foreign matter which includes wood-splinters, husk, dirt, walnut-meal, shell-pieces, etc. shall not exceed 0.25 or 1/4 per cent by weight.

Note: All tolerance shall be calculated on the basis of weight.

[No. F-10-14/79-AM]
GANDHARV SINGH, Under Secy.

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 1981

सा०का०नि० 840 :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (केन्द्रीय कार्यालय) के अधीन ज्येष्ठ सहायक (स्थापत्य विभाग) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (केन्द्रीय कार्यालय) ज्येष्ठ सहायक (स्थापत्य विभाग) भर्ती, नियम, 1981 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो निम्न अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि— (1) आरम्भिक गठन—ज्येष्ठ सहायक (स्थापत्य विभाग) के समूह 'ग' के पद के नियमित धारक को, जिसे पूर्ववर्ती सहायक (मुख्य) के रूप में पदाभिहित किया गया था, ज्येष्ठ सहायक (स्थापत्य विभाग) के उक्त पद पर, जिसका ग्रेड इस नियम के उपनियम (2) के अनुसार 700—900 रुपये के वेतनमान में समूह 'ख' (अराजपत्रित) के रूप में बढ़ाया गया है, नियुक्त किया गया समझा जाएगा।

(2) भावी अनुरक्षण—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो निम्न अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार को यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखाबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6 व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेन्शन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले कर्मचारी के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	6(क)	7
ज्येष्ठ सहायक (स्थापत्य विभाग)	1	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित अलिपिक वर्गीय	700-30-760-35-900 रुपये	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले कर्मचारी के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भर्ती किए जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय, प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
नहीं	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा	ऐसे सहायक (स्थापत्य विभाग) जिन्होंने उस श्रेणी में 8 वर्ष नियमित सेवा की है जिसके अन्तर्गत सहायक (स्थापत्य विभाग) चयन श्रेणी में की गई सेवा यदि कोई है, भी है।	समूह 'ख' विभागीय/प्रोन्नति समिति 1. महानिदेशक (संकर्म) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग—अध्यक्ष 2. मुख्य वास्तुविद—सदस्य 3. उप सचिव (ई०डब्ल्यु०)—सदस्य 4 निदेशक प्रशासन केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग—सदस्य 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का समुचित प्राधिकारी—सदस्य	इन नियमों के किसी उपबन्ध को संशोधित/शिथिल करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

[सं० 33/9/76-ई०सी०आई०एस०]

एस० रंगानाथन, अवर सचिव

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

New Delhi, the 21st August, 1981

G.S.R. 840.—In exercise of the powers conferred by the Proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Assistants (Architectural Department) under the Central Public Works Department (Central Office), Namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Public Works Department (Central Office) Senior Assistants (Architectural Department) Recruitment Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule hereunder.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—(1) Initial constitution :—The regular holder of the Group 'C' Post of Senior Assistant (Architectural Department) earlier designated as Assistant (Chief) shall be deemed to have been appointed to the said post of Senior Assistant (Architectural Department) upgraded as Group 'B' (non-gazetted) in the scale of Rs. 700-900 in accordance with sub-rule (2) of this rule.

(2) Future maintenance.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualifications.—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the Personal Law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do. It may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the CCS (Pension) rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	6(a)	7
Senior Assistant (Architectural Department)	1	General Central Service Group 'B' non-gazetted non-Ministerial	Rs. 700-30-760-35-900	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will appy in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/ deputation/transfer to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
No	2 years	By promotion	Assistant (Architectural Department) with 8 years regular service in the grade, including service, if any, rendered in the grade of Assistant (Architectural Department) selection grade.	Group 'B' Departmental Promotion Committee: 1. Director General (Works), Central Public Works Department—Chairman 2. Chief Architect—Member 3. Deputy Secretary (EW)—Member 4. Director of Administration, Central Public Works Department—Member 5. An officer of appropriate status belonging to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes—Member	Union Public Service Commission sall be consulted while amending/relaxing any of the provisions of these rules.

[No. 33/9/76-ECIX]

S. RANGANATHAN, Under Secy.

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय

(पूर्ति विभाग)

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 1981

का०आ०नि० 841.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय अनुसंधान सहायक (ग्रुप 'बी' अराजपत्रित) भर्ती नियम 1976, का अधिक्रमण करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली में अनुसंधान सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं.—

1. (1) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—ये नियम पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय (अनुसंधान सहायक) भर्ती नियम, 1981 कहे जायेंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू माने जायेंगे।

2. संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके संलग्न वेतनमान वे होंगे जो कथित अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :—उक्त पद के संबंध में भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और तत्संबंधी अन्य बातें वे होंगी जो कथित अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. अनर्हताएं :—कोई भी व्यक्ति —

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है, जिसकी पत्नी/जिसका पति जीवित है

या

(ख) जिसने अपनी पत्नी/जिसने अपने पति के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया हो।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति पर और जिससे विवाह किया जाता है, उस पर लागू होने वाले किसी भी निजी कानून के अन्तर्गत ऐसे विवाह की अनुमति है और यदि ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह इस नियम के प्रवर्तन से किसी व्यक्ति को छूट दे सकती है।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, जहां वह आदेश द्वारा लिखित रूप से अंकित किए जाने वाले कारणों से किसी भी वर्ग या व्यक्तियों के वर्ग के बारे में इन नियमों के उपबन्धों में से किसी को भी शिथिल कर सकती है।

6. छूट.—इन नियमों की कोई बात अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार किए गए आरक्षण तथा अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेंगे।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण पद अथवा अप्रवरण पद	सीधी भर्ती वालों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती वालों के लिए शैक्षणिक तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
अनुसंधान सहायक	4	सामान्य केन्द्रीय सेवा, ग्रुप 'बी' अराजपत्रित अनिपिकीय	550-25-750-ई०रो०-30-900 रु०	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

क्या सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति की दशा में लागू होंगी	परीविक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति तथा सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण और इन विभिन्न पद्धतियों द्वारा की गई भर्ती का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती किए जाने की स्थिति में किन ग्रेडों से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसका गठन क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण केन्द्रीय सरकार के पूर्ति विभाग (पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय भी शामिल है) का अधिकारी, जिसके न होने पर, केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालय/विभाग का अधिकारी जिसके पास (1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री या उसके समकक्ष। (2) 425-800/425-700 रु० के वेतनमान के पद पर	लागू नहीं होता	इन नियमों के उपबंधों में संशोधन/छूट देते समय लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाए।

11

कम से कम 5 वर्ष की नियमित सेवा या उसके समकक्ष और,

(3) सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबन्ध संस्थान के बेसिक प्रबन्ध सेवा पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया हो या इस पाठ्यक्रम को करने की योग्यता रखते हो या अन्य किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इसके तुलनात्मक प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।

व्याख्या :

यदि किसी ऐसे अधिकारी का चयन हो जाता है, जिसने पहले से उपरोक्त पाठ्यक्रम प्राप्त नहीं किया है, तो उसके लिए यह आवश्यक है कि वे शीघ्र से शीघ्र उक्त पाठ्यक्रम को करे और उसका उस पद पर लगातार बने रहना इस बात पर निर्भर करेगा कि वे नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष के अन्दर उक्त पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कर लें। (सामान्यतया प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी)।

[सं० ए-12018/1/81-स्था-2]
बी० एम० रामन, अवर सचिव

MINISTRY OF SUPPLY & REHABILITATION

(Department of Supply)

New Delhi, the 26th August, 1981

G.S.R. 841.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate General of Supplies and Disposals (Research Assistants (Group 'B' non-gazetted) Recruitment Rules 1976, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Research Assistant in the Directorate General of Supplies and Disposals, New Delhi, namely :—

1. (1) Short title and commencement.—These rules may be called the Direcorate General of Supplies and Disposals (Research Assistant) Recruitment Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, classification and scale of pay .—The number of the post, classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to that Rule.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualifications :—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax :—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving :—Nothing in these rules shall effect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruit-
1	2	3	4	5	6	7
Research Assistant	4	General Central Service, Group 'B' Non-gazetted Non-ministerial	Rs. 550-25-750-EB-30-900.	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by transfer on deputation or transfer and percentage of the vacancies to be filled by each method	In case of recruitment by promotion, deputation or transfer, grades from which promotion/deputation or transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances under which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	Not applicable	By transfer or deputation.	Transfer on deputation : Officers of the Central Government, the Department of Supply (including Directorate General of Supplies and Disposals) failing which officers in other Ministries/Departments of the Central Government who shall have (i) a degree of a recognised University or its equivalent; (ii) rendered at least 5 years' regular service in posts in the scale of Rs. 425-800/425-700 or equivalent; and (iii) completed successfully, or be eligible to undergo, the Basic Management Services Course of the Institute of Secretariat Training and Management or a comparable training in any other recognised institution. Explanation:—If an officer who has not already undergone the said course is selected, he sall be required to undergo the said course at the earliest and his continued retention in the post shall be subject to the condition that he completes the said course successfully within one year of the date of his appointment. (Period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years).	Not applicable	The Union Public Service Commission shall be consulted while amending/relaxing any of the provisions of these rules.

[No. A-12018/1/81-ES. II]
C. N. RAMAN, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATION, DELHI-110054, 1981

gipr Education

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA, PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 1984—1987
Dated : 12-9-81

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1981

सा०का०नि० 837 :—केन्द्रीय सरकार, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय खाद्य मानक समिति से परामर्श करने के पश्चात् अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का और संशोधन करना चाहती है। जैसा कि उक्त उपधारा में अपेक्षित है प्रस्तावित संशोधनों का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है। इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा।

2. ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त प्रारूप की बाबत जो भी आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी।

प्रारूप नियम

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) नियम, 1981 है।

2. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) नियम 42 के उपखंड (ठ) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

(ठ) करी पाउडर और मसाला—करी पाउडर और मिश्रित मसाले के प्रत्येक पैकेज पर एक लेबल लगा होगा जिसमें भार में उत्पादों के संघटकों का संमिश्रण अवरोही क्रम में दिया जाएगा। यदि मिश्रित मसाला तेल में तला जाता है तो उस पर निम्नलिखित लेबल होगा :

> मिश्रित मसाला (तला हुआ)
> यह मसाला————————
> (प्रयुक्त खाद्य तेल का नाम) में तला गया है

3. उक्त नियमों के परिशिष्ट ख में,

(i) मद क.05.01, क.05.01.01., क.05.02, क.05.03, क.05.03.01, क.05.03.02, क.05.04, क.05.04.01, क.05.04.02, क.05.05, क.05.05.01, क.05.06, क.05.06.01, क.05.06.02, क.05.07, क.05.07.01, क.05.08, क.05.08.01, क.05.09, क.05.09.01, क.05.10, क.05.10.01, क.05.11, क.05.11.01, क.05.12, क.05.12.01, क.05.13, क.05.13.01, क.05.14, क.05.14.01, क.05.15, क.05.15.01, क.05.16, क.05.16.01 क.05.17, क.05.17.01, क.05.17.02, क.05.17.03, क.05.18 और क.05.19 में अंत में निम्नलिखित अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"उसमें मिलाए गए रंजक पदार्थ और सामान्य खाद्य नमक नहीं होंगे";

(ii) मद क.05.21 में, "जब कभी सामान्य खाद्य नमक मिलाया जाए तो भारानुसार उसका प्रतिशत लेबल पर घोषित किया जाएगा" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(iii) मद क.05.21 के पश्चात्, निम्नलिखित मदें अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"क.05.21.01—मिश्रित मसाला (साबुत) से स्वच्छ, सूखे और स्वास्थ्यप्रद सुगंधित बूटियों तथा मसाले का मिश्रण अभिप्रेत है। इसमें सूखी सागभाजी और/या फल तिलहन, लहसुन, अदरक, खस-खस और करी के पत्ते भी हो सकते हैं। यह मिलाए गए रंजक पदार्थ से मुक्त होगा। यह फफूंदी और कीट ग्रसन से मुक्त होगा। बाह्य पदार्थ का अनुपात भार में पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा जिसमें से कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ का अनुपात क्रमशः तीन प्रतिशत और दो प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।"

मिश्रण में अंतर्विष्ट मसालों के नाम लेबल पर सम्मिश्रण के अवरोही क्रम में उपदर्शित किए जाएंगे।

(ख) क.05.21.02—मिश्रित मसाला (पाउडर) से स्वच्छ सूखे और स्वास्थ्यप्रद मसालों तथा सुगंधित बूटियों, सूखे फलों और/या सागभाजी, तिलहन, लहसुन, अदरक, खसखस और करी के पत्ते को पीस कर प्राप्त किया गया पाउडर अभिप्रेत है। इसमें कोई भी मिलाया गया रंजक पदार्थ और परिरक्षक नहीं होंगे।

यह गन्दगी, फफूंदी और कीट ग्रसन से रहित होगा। मिश्रण में मसालों और बूटियों तथा तिलहन का अनुपात पचासी प्रतिशत से कम नहीं होगा। इसमें मिलाया गया स्टार्च और सामान्य लवण भी हो सकेगा। मिश्रण में बाह्य स्टार्च का अनुपात भार में दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। इसे खाद्य तेल में भूना जा सकेगा या तला जा सकेगा। यह निम्नलिखित मानकों के अनुरूप होगा :

1. आर्द्रता	भार में 14 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
2. तनुकृत हाईड्रोक्लोरिक अम्ल में अविलेय भस्म	शुष्क आधार पर भार में 2.0% से अधिक नहीं होगी।
3. अपरिष्कृत रेशे	शुष्क आधार पर भार में 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।
4. सीसा	शुष्क आधार पर दस लाख में 10 भाग से अधिक नहीं होगा।

मिश्रित मसाले में अंतर्विष्ट पदार्थों के नाम भार के आधार पर सम्मिश्रण के अवरोही क्रम में लेबल पर घोषित किए जाएंगे उस खाद्य तेल के नाम का जो मिलाया गया है या जिसमें उत्पाद तला गया है, जैसा कि नियम 42 के उपनियम (ठ) में अधिकथित है, लेबल पर भी उल्लेख किया जाएगा।

क.05.21.03—गरम मसाला (पाउडर) से केवल स्वच्छ, सूखी और स्वास्थ्यप्रद सुगंधित बूटियों तथा मसालों को पीस कर प्राप्त किया गया पाउडर अभिप्रेत है। इसमें ताजा और सूखे फल या सागभाजी, मिलाया गया स्टार्च या सामान्य खाद्य लवण नहीं होगा। पाउडर गन्दगी, फफूंदी और कीटग्रसन से रहित होगा। इसमें रंजक पदार्थ और परिरक्षक नहीं होंगे। उत्पाद में प्रयुक्त संघटकों के नामों का उल्लेख लेबल पर भार के आधार पर सम्मिश्रण के अवरोही क्रम में किया जाएगा। यह निम्नलिखित मानकों के भी अनुरूप होगा :

1. आर्द्रता	14 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
2. वाष्पशील तेल	शुष्क आधार पर मात्रा भार में 0.5 प्रतिशत से कम नहीं होगा।
3. अवाष्पशील ईथर निष्कर्षण	शुष्क आधार पर भार में 7.5 प्रतिशत से कम नहीं होगा।
4. तनुकृत हाईड्रोक्लोरिक अम्ल में अविलेय भस्म	शुष्क आधार पर भार में 2.0 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
5. अपरिष्कृत रेशे	शुष्क आधार पर भार मे 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

(iv) मद क.07.03 में, फ्रक्टोस—ग्लूकोस का अनुपात 0 90 से कम नहीं होगा "शब्दों और अंकों के स्थान पर "फ्रक्टोस/ग्लूकोस का अनुपात 0.95 से कम नहीं होगा" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(v) मद क 18 01 में, "आटा" शब्द के स्थान पर, "आटा या परिणामी आटा" शब्द रखे जाएंगे।

(vi) मद क. 18.07 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"क 18 07-बिस्कुट, जिनके अन्तर्गत वेफर बिस्कुट भी है, मैदा, वनस्पति या परिष्कृत खाद्य तेल अथवा टेबल मक्खन या देसी मक्खन या कृत्रिम मक्खन (या घी) या उनके मिश्रण से बनाए जाएंगे। इनमें निम्नलिखित एक या अधिक संघटक हो सकते हैं, अर्थात् :—

सामान्य खाद्य नमक, अनुज्ञात प्रति आक्सीकारक, पायसीकारक और स्थायीकारक; अनुज्ञात परिरक्षक और रंग; किण्वनकारक जैसे बेकिंग पाउडर, अमोनियम बाइ कार्बोनेट; अमोनियम कार्बोनेट; और मक्खन दुग्ध पाउडर, अनाज और उसके उत्पाद; पनीर सिट्रिक अम्ल; कोका; काफी-निष्कर्ष, खाद्य निर्जलीकृत नारियल; डेक्सटोज; फल और फल उत्पाद; सूखे फल और वृढ़ फल; अंडे, खाद्य वनस्पति उत्पाद; एमिलेस और अन्य एन्जाइम, अनुज्ञात सुरुचिकर्मक, सुरुचिवर्धक और फिक्सचर; आटा उन्नयक; अदरक, ग्लूटेन; मूंगफली का आटा; दुग्ध और दुग्ध उत्पाद, मधु; जेली फार्मिंग कारक; द्रव ग्लुकोस; माल्ट उत्पाद; खाद्य तिलहन, आटा और चूरा; गरम मसाले और मसाले; खाद्य स्टार्च जैसे आलू स्टार्च; और खाद्य आटा; चीनी और चीनी उत्पाद; इंवर्ट शुगर गुड़ प्रोटीन सांद्र और अन्य पोषक; सोडियम बाईसल्फेट; सोडियम मेटा-बाइसल्फेट और अन्य डो कंडीशनर, विटामिन, कैलिशयम और फेरस साल्ट, पोटेशियम आयोडाइड; मेलिक और लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल; सिरका और ऐसेटिक अम्ल; खमीर

बिस्कुट निम्नलिखित मानकों के अनुरूप होंगे, अर्थात् :—

(क) (शुष्क आधार पर) तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अविलेय भस्म 1.0 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा:

(ख) निकाली गई वसा की अल्कोहाली (90 प्रतिशत अल्कोहल) अम्लता (ओलिक अम्ल के रूप में) 1.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी"

(vii) मद क. 25.02 के पश्चात् निम्नलिखित मदें अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

चिंविंग गम या बबल गम चिंविंग गम आधार या बबल गम आधार जैसे बबूल; कीकर (गन अरैबिक) (ऐकेशिया नीलोटिकासन० ऐकेशिया अरैबिका) खैर (ऐकेशिया कैटेचू); झींगा (जैल) (लोचिनआ कारो मोडलिका); चट्टी (एनोगिसेस लेटीफोलिया); चीकू (सोपोटा) (अचरस जपोटा) और महुआ (मधुका लोंगीफोलिया) या प्राकृतिक अथवा सिन्थेटिक नोन-टोक्सिक गम, चीनी और द्रव ग्लूकोस से तैयार किए जाएंगे। इसमें निम्नलिखित संघटकों में से कोई भी सम्मिलित हो सकेगा :

ग्लिसरीन; ग्लिसरोल मोनोस्टीरेट; माल्ट; दुग्ध पाउडर, चाकलेट काफी; जिलेटिन; नोन-टोक्सिक प्राकृतिक या खनिज मोम सारबिटाल; मिलाया गया स्टार्च; सिटिक अम्ल (खाद्य ग्रेड); टार्टरिक अम्ल (खाद्य ग्रेड) और विटामिन प्रोटीन और खनिज आदि जैसे पोषक।

इसमें अनुज्ञात रंजक पदार्थ, सुरुचिक, प्रति आक्सीकारक, परिरक्षक, और पायसीकारक हो सकेंगे। यह गंदगी, गंदे अपमिश्रकों और हानिकारक तत्वों से रहित होगा; इसमें टिटानियम डाइआक्साइड (खाद्य ग्रेड) एक प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक हो सकेगा। यह निम्नलिखित मानकों के भी अनुरूप होगा, अर्थात् :—

		चिंविंग गम	बबल गम
(i)	गम	भार मे 12.5 प्रतिशत से कम नहीं होगा।	भार मे 14 0 प्रतिशत से कम नहीं होगा।
(ii)	आर्द्रता	भार मे 3 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।	भार में 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
(iii)	सल्फेट भस्म	भार मे 9.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।	भार में 11.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
(iv)	अम्ल अविलेय भस्म	भार में 2.0 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।	भार में 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
(v)	अपचायक चीनी	भार में 4.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।	भार में 5.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
(vi)	सुक्रोस	भार में 70.0 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।	भार में 60.0 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

[सं० पी० 15014/1/79-पी०एच० (एफ० एण्ड एन०) (पी०एफ०ए०)]

जी० पञ्चपकेशन, अवर सचिव

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 1981

G.S.R 837.— The following draft of certain rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954) after consultation with the Central Committee for Food Standards is hereby published, as required by the said sub-section, for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration on or after the expiry of ninety days from the date of publication of this notification in the Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified, will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. These rules may be called the Prevention of Food Adulteration (Amendment) Rules, 1981.

2. In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, (hereinafter referred to as the said rules), in rule 42, for sub-clause (L), the following clause shall be substituted, namely :—

"(L)—CURRY POWDER AND MASALA—Every package of curry-powder and mixed masala shall bear a label specifying the ingredients of the products in descending order of composition by weight. If mixed masala is fried in oil, it shall bear the following label : —

MIXED MASALA (FRIED)
THIS MASALA HAS BEEN FRIED IN..
.....
(Name of the edible oil used)

3. In appendix B of the said rules—

(i) in items A. 05.01, A 05 01.01, A. 05.02, A. 05.03, A. 05.03.01, A. 05.03.02, A. 05.04, A. 05.04.0.1 A. 05.04.02, A. 05.05, A. 05.05.01, A. 05.06, A. 05.06.01, A.05.06.02, A.05.07, A.05.07.01, A.05.08. A. 05.08.01, A. 05.09, A. 05.09.01, A. 05.10, A. 05.10.01, A.05.11, A.05.11.01, A.05.12, A.05.12.01, A. 05 13, A. 05.13.01, A. 05.14. A. 05.14.01, A. 05.15, A. 05.15.01 A. 05.16, A.05.16.01 A. 05.17, A. 05.17.01, A. 05.17.02, A. 05.17.03, A. 05.18, and A. 05.19

the following shall be added at the end :—

"It shall be free from added colouring matter and edible common salt."

(ii) in item A. 05.21, the words "edible common salt is added, its percentage by weight shall be declared on the label Also" shall be omitted;

(iii) after item A. 05.21, the following items shall be inserted, namely :—

"A.05.21.01—Mixed Masala (whole) means a mixture of clean, dried and sound aromatic herbs and spices. It may also contain dried vegetables and/or fruits, oilseeds, garlic, ginger, poppy seeds and curry leaves. It shall be free from added colouring matter. It shall be free from mould growth and insect infestation. The proportion of extraneous matter shall not exceed five per cent by weight out of which the proportion of organic and inorganic material shall not exceed three per cent and two per cent, respectively.

The names of the spices contained in the mixture shall be indicated on the label in descending order of composition.

A.05.21.02.—Mixed Masala (powder) means the powder obtained by grinding clean, dried and sound spices and aromatic herbs, dried fruits and/or vegetables, oilseeds, garlic, ginger, poppyseeds and curry leaves. It shall be free from any added colouring matter and preservative. It shall be free from dirt, mould growth and insect infestation. The proportion of spices and herbs and oilseeds in the mixture shall not be less than eighty five per cent. It may contain added starch and common salt. The proportion of extraneous starch in the mixture shall not exceed ten per cent by weight. It may be roasted or fried in edible oil. It shall conform to the following standards.:—

1. Moisture	Not more than 14 per cent by weight.
2. Ash, insoluble in dilute hydrochloric acid.	Not more than 2.0 per cent by weight, on dry basis.
3. Crude Fibre	Not more than 15 per cent by weight, on dry basis.
4. Lead	Not more than 10 part per million on dry basis.

The ingredient contained in the mixed masala shall be declared on the label in the descending order of composition. The name of the edible oil, which has been added or in which the product has been fried shall also be mentioned on the label laid under sub-rule (L) of rule 42.

A.05.21.03—Garam Masala (Powder) means the powder obtained by grinding clean, dried and sound aromatic herbs and spices only. It shall not contain fruits or vegetables, fresh or dry) added starch or edible common salt, the powder shall be free from dirt, mould growth and insect infestation. It shall be free from added colouring matter and preservatives The ingredients used in the product shall be mentioned on the label in descending order of composition. It shall also conform to the following standards:—

1. Moisture	Not more than 14 per cent.
2. Volatile oil extract	Not less than 0.5 per cent volume/ weight on dry basis.
3. Non Volatile ether extract	Not less than 7.5 per cent by weight on dry basis.
4. Ash insoluble in dilute hydrochloric acid.	Not more than 2.0 per cent by weight on dry basis.
5. Crude fibre	Not more than 10.0 per cent by weight on dry basis.

(iv) in item A.07.03., for figures "Fructose/Glucose ratio shall not be less than 0.90" the words and figures "Fructose/Glucose ratio shall not be less than 0.95" shall be substituted ;

(v) in item A.18.01, for the word "Atta" the words "Atta or resultant atta" shall be substituted ;

(vi) for item A.18.07—the following item shall be substituted, namely : A.18.07—Biscuits including wafer biscuits shall be made from maida, vanaspati or refined edible oil or table butter or deshi butter or margarine or ghee or their mixture. It may contain any one or more of the following ingredients, namely :—

Edible common salt; permitted anti-oxidants; emulsifying and stabilising agents; permitted preservatives and colours; leavening agents such as baking powder; ammonium bicarbonate ; ammonium carbonate; butter milk powder ; cereals and their products; cheese; citric acid; cocoa; coffee extract ; edible desiccated coconut ; dextrose ; fruits and fruit products; dry fruits and nuts ; eggs ; edible vegetable products ; anyleses and other onzyaps; permitted flavouring agents; flavour improvers and fixers; flour improvers; ginger, gluten ; groundnut flour ; milk and milk products ; honey; jellyfying agents ; liquid glucose ; malt products ; edible oilseeds ; flour and meals ; spices and condiments edible starches such as potato starch ; and edible floura ; sugars and sugar products ; invert sugar ; jaggery ; protein concentrates and other nutrients ; sodium ; bisulphite ; sodium metabisulphite and other dough conditioners, vitamins, calcium and ferrous salts ; potassium iodide, malic and lactic acids ; tartaric acid ; vinegar and acetic acid ; yeast.

8. Biscuits shall conform to the following standard, namely:—

(a) Ash insoluble in dilute hydrochloric acid (on dry basis) shall not be more than 1.0 per cent.

(b) Alcoholic (90 per cent alcohol) acidity of extracted fat (as oleic acid) shall not exceed 1.5 per cent.

(vii) after item A.25.02 the following items shall be inserted, namely:—

A. 25.02.01 Chewing Gum and Bubble Gum shall be prepared from chewing gum base or bubble gum base like bubul ; Khikar (Gum Arabic) (Acacia nilotica-sln) (Acacia arabica) ; Khair (Acacia Catechu) : Jhingan (Jael) (Leannea coromoandelica) ; Chatti (Angissus latifolia) ; Chiku (Sopota) Achra Zapota) and Mahus (Maduca longifolia) or Natural or synthetic non-toxic gum, sugar and liquid glucose. It may also contain any of the following ingredients:—

Glycerine ; glyceral monostearate ; malt ; milk powder ; chocolate ; coffee ; gelatine ; non-toxic natural or mineral waxes ; sorbitol ; added starch ; citric acid (food grade) ; tartaic acid (food grade) ; and nutrients like vitamins, proteins and minerals etc.

It may contain permitted colouring matter, flavours, anti-oxidants, preservatives and emulsifiers. It shall be free from dirt, filth adulterants and harmful ingredients. It may also contain tetanium dioxide (food grade) to a maximum limit of 1 per cent. It shall also conform to the following standards, namely:—

	Chewing Gum	Bubble Gum
(i) Gum	Not less than 12.5, per cent by weight.	Not less than 14.0 per cent by weight.
(ii) Moisture	Not more than 3.5, per cent by weight.	Not more than 3.5, per cent by weight.
(iii) Sulphated Ash	Not more than 9.5 per cent by weight.	Not more than 11.5 per cent by weight.
(iv) Acid insoluble ash.	Not more than 2.0 per cent by weight.	Not more than 3.5 per cent by weight.
(v) Reducing sugar	Not less than 4.5 per cent by weight.	Not less than 5.5 per cent by weight.
(vi) Sucrose	Not more than 70.0 per cent by weight.	Not more than 60.0 per cent by weight.

[No. P. 15014/1/79-PH (F&N) (PFA)]

G. PANCHAPAKESAN, Under Secy.

MGIPRRND—VII—7 H&FW/81—29-9-81—400

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA, PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 1984—1987
Dated : 12-9-81

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1981

सा०का०नि० 837 :—केन्द्रीय सरकार, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय खाद्य मानक समिति से परामर्श करने के पश्चात् अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का और संशोधन करना चाहती है। जैसा कि उक्त उपधारा में अपेक्षित है प्रस्तावित संशोधनों का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है। इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा।

2. ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त प्रारूप की बाबत जो भी आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी।

प्रारूप नियम

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) नियम, 1981 है।

2. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) नियम 42 के उपखंड (ठ) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

(ठ) करी पाउडर और मसाला—करी पाउडर और मिश्रित मसाले के प्रत्येक पैकेज पर एक लेबल लगा होगा जिसमें भार में उत्पादों के संघटकों का संमिश्रण अवरोही क्रम में दिया जाएगा। यदि मिश्रित मसाला तेल में तला जाता है तो उस पर निम्नलिखित लेबल होगा :

> मिश्रित मसाला (तला हुआ)
> यह मसाला——————
> (प्रयुक्त खाद्य तेल का नाम) में तला गया है

3. उक्त नियमों के परिशिष्ट ख में,

(i) मद क.05.01, क.05.01.01., क.05.02, क.05.03, क.05.03.01, क.05.03.02, क.05.04, क.05.04.01, क.05.04.02, क.05.05, क.05.05.01, क.05.06, क.05.06.01, क.05.06.02, क.05.07, क.05.07.01, क.05.08, क.05.08.01, क.05.09, क.05.09.01, क.05.10, क.05.10.01, क.05.11, क.05.11.01, क.05.12, क.05.12.01, क.05.13, क.05.13.01, क.05.14, क.05.14.01, क.05.15, क.05.15.01, क.05.16, क.05.16.01 क.05.17, क.05.17.01, क.05.17.02, क.05.17.03, क.05.18 और क.05.19 में अंत में निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"उसमें मिलाए गए रंजक पदार्थ और सामान्य खाद्य नमक नहीं होंगे";

(ii) मद क.05.21 में, "जब कभी सामान्य खाद्य नमक मिलाया जाए तो भारानुसार उसका प्रतिशत लेबल पर घोषित किया जाएगा" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(iii) मद क.05.21 के पश्चात्, निम्नलिखित मदें अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"क.05.21.01—मिश्रित मसाला (साबुत) से स्वच्छ, सूखे और स्वास्थ्यप्रद सुगंधित बूटियों तथा मसाले का मिश्रण अभिप्रेत है। इसमें सूखी सागभाजी और/या फल तिलहन, लहसुन, अदरक, खस-खस और करी के पत्ते भी हो सकते हैं। यह मिलाए गए रंजक पदार्थ से मुक्त होगा। यह फफूंदी और कीट ग्रसन से मुक्त होगा। बाह्य पदार्थ का अनुपात भार में पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा जिसमें से कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ का अनुपात क्रमशः तीन प्रतिशत और दो प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।"

मिश्रण में अंतर्विष्ट मसालों के नाम लेबल पर सम्मिश्रण के अवरोही क्रम में उपदर्शित किए जाएंगे।

(ख) क.05.21.02—मिश्रित मसाला (पाउडर) से स्वच्छ सूखे और स्वास्थ्यप्रद मसालों तथा सुगंधित बूटियों, सूखे फलों और/या सागभाजी, तिलहन, लहसुन, अदरक, खसखस और करी के पत्ते को पीस कर प्राप्त किया गया पाउडर अभिप्रेत है। इसमें कोई भी मिलाया गया रंजक पदार्थ और परिरक्षक नहीं होंगे।

यह गन्दगी, फफूंदी और कीट ग्रसन से रहित होगा। मिश्रण में मसालों और बूटियों तथा तिलहन का अनुपात पचासी प्रतिशत से कम नहीं होगा। इसमें मिलाया गया स्टार्च और सामान्य लवण भी हो सकेगा। मिश्रण में बाह्य स्टार्च का अनुपात भार में दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। इसे खाद्य तेल में भूना जा सकेगा या तला जा सकेगा। यह निम्न-लिखित मानकों के अनुरूप होगा :

1. आर्द्रता	भार में 14 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
2. तनुकृत हाईड्रोक्लोरिक अम्ल में अविलेय भस्म	शुष्क आधार पर भार में 2.0% से अधिक नहीं होगी।
3. अपरिष्कृत रेशे	शुष्क आधार पर भार में 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।
4. सीसा	शुष्क आधार पर दस लाख में 10 भाग से अधिक नहीं होगा।

मिश्रित मसाले में अंतर्विष्ट पदार्थों के नाम भार के आधार पर सम्मिश्रण के अवरोही क्रम में लेबल पर घोषित किए जाएंगे उस खाद्य तेल के नाम का जो मिलाया गया है या जिसमें उत्पाद तला गया है, जैसा कि नियम 42 के उपनियम (ठ) में अधिकथित है, लेबल पर भी उल्लेख किया जाएगा।

क. 05.21.03—गरम मसाला (पाउडर) से केवल स्वच्छ, सूखी और स्वास्थ्यप्रद सुगंधित बूटियों तथा मसालों को पीस कर प्राप्त किया गया पाउडर अभिप्रेत है। इसमें ताजा और सूखे फल या सागभाजी, मिलाया गया स्टार्च या सामान्य खाद्य लवण नहीं होगा। पाउडर गन्दगी, फफूंदी और कीटग्रसन से रहित होगा। इसमें रंजक पदार्थ और परिरक्षक नहीं होंगे। उत्पाद में प्रयुक्त संघटकों के नामों का उल्लेख लेबल पर भार के आधार पर सम्मिश्रण के अवरोही क्रम में किया जाएगा। यह निम्नलिखित मानकों के भी अनुरूप होगा :

1. आर्द्रता	14 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
2. वाष्पशील तेल	शुष्क आधार पर मात्रा भार में 0.5 प्रतिशत से कम नहीं होगा।
3. अवाष्पशील ईथर निष्कर्षण	शुष्क आधार पर भार में 7.5 प्रतिशत से कम नहीं होगा।
4. तनुकृत हाईड्रोक्लोरिक अम्ल में अविलेय भस्म	शुष्क आधार पर भार में 2.0 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
5. अपरिष्कृत रेशे	शुष्क आधार पर भार में 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

(iv) मद क. 07 03 में, फक्टोस-ग्लूकोस का अनुपात 0.90 से कम नहीं होगा "शब्दों और अंकों के स्थान पर "फ्रक्टोस/ग्लूकोस का अनुपात 0.95 से कम नहीं होगा" शब्द और अंक रखे जाएंगे,

(v) मद क. 18.01 में, "आटा" शब्द के स्थान पर, "आटा या परिणामी आटा" शब्द रखे जाएंगे।

(vi) मद क. 18.07 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"क 18 07-बिस्कुट, जिनके अन्तर्गत वेफर बिस्कुट भी हैं, मैदा, वनस्पति या परिष्कृत खाद्य तेल अथवा टेबल मक्खन या देसी मक्खन या कृत्रिम मक्खन (या घी) या उनके मिश्रण से बनाए जाएंगे। इनमें निम्नलिखित एक या अधिक संघटक हो सकते हैं, अर्थात् :—

सामान्य खाद्य नमक, अनुज्ञात प्रति आक्सीकारक, पायसीकारक और स्थायीकारक; अनुज्ञात परिरक्षक और रंग; किण्वनकारक जैसे बेकिंग पाउडर; अमोनियम बाइ कार्बोनेट; अमोनियम कार्बोनेट; और मक्खन दुग्ध पाउडर, अनाज और उसके उत्पाद; पनीर सिट्रिक अम्ल; कोका; काफी-निष्कर्ष; खाद्य निर्जलीकृत नारियल; डेक्सटोज; फल और फल उत्पाद; सूखे फल और दृढ़ फल; अंडे, खाद्य वनस्पति उत्पाद; एमिलेस और अन्य एन्जाइम; अनुज्ञात सुरुचिकर्मक; सुरुचिवर्धक और फिक्सचर; आटा उन्नयक; अदरक; ग्लूटेन; मूंगफली का आटा; दुग्ध और दुग्ध उत्पाद; मधु; जेली फाइंग कारक; द्रव ग्लूकोस; माल्ट उत्पाद; खाद्य तिलहन, आटा और चूरा; गरम मसाले और मसाले; खाद्य स्टार्च जैसे आलू स्टार्च; और खाद्य आटा; चीनी और चीनी उत्पाद; इंवर्ट शुगर गुड़ प्रोटीन सांद्र और अन्य पोषक; सोडियम बाईसल्फेट; सोडियम मेटा-बाइसल्फेट और अन्य डो कंडीशनर, विटामिन, कैल्शियम और फेरस साल्ट, पोटेशियम आयोडाइड; मेलिक और लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल; सिरका और ऐसेटिक अम्ल; खमीर

बिस्कुट निम्नलिखित मानकों के अनुरूप होंगे, अर्थात् :—

(क) (शुष्क आधार पर) तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अविलेय भस्म 1.0 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा:

(ख) निकाली गई वसा की अल्कोहाली (90 प्रतिशत अल्कोहल) अम्लता (ओलिक अम्ल के रूप में) 1.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी"

(vii) मद क. 25.02 के पश्चात् निम्नलिखित मदें अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

चिविंग गम या बबल गम चिविंग गम आधार या बबल गम आधार जैसे बबूल; कीकर (गम अरैबिक) (ऐकेशिया नीलोटिकासन० ऐकेशिया अरैबिका) खैर (ऐकेशिया कटेचू); झींगा (जैल) (लोनिनआ कारो मोडलिका); चट्टी (एनोगिसेस लेटीफोलिया); चीकू (सोपोटा) (अचरस जपोटा) और महुआ (मधुका लोंगीफोलिया) या प्राकृतिक अथवा सिन्थेटिक नोन-टॉक्सिक गम, चीनी और द्रव ग्लूकोस से तैयार किए जाएंगे। इसमें निम्नलिखित संघटकों में से कोई भी सम्मिलित हो सकेगा :

ग्लिसरीन; ग्लिसरोल मोनोस्टीरेट; माल्ट; दुग्ध पाउडर, चाकलेट काफी; जिलेटिन; नोन-टॉक्सिक प्राकृतिक या खनिज मोम सारबिटाल; मिलाया गया स्टार्च; सिटिक अम्ल (खाद्य ग्रेड); टार्टरिक अम्ल (खाद्य ग्रेड) और विटामिन प्रोटीन और खनिज आदि जैसे पोषक।

इसमें अनुज्ञात रंजक पदार्थ, सुरुचिक, प्रति आक्सीकारक, परिरक्षक, और पायसीकारक हो सकेंगे। यह गंदगी, गंदे अपमिश्रकों और हानिकारक तत्वों से रहित होगा; इसमें टिटानियम डाइआक्साइड (खाद्य ग्रेड) एक प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक हो सकेगा। यह निम्नलिखित मानकों के भी अनुरूप होगा, अर्थात् :—

		चिविंग गम	बबल गम
(i)	गम	भार में 12.5 प्रतिशत से कम नहीं होगा।	भार में 14.0 प्रतिशत से कम नहीं होगा।
(ii)	आर्द्रता	भार में 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।	भार में 3 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
(iii)	सल्फेट भस्म	भार में 9.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।	भार में 11.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
(iv)	अम्ल अविलेय भस्म	भार में 2.0 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।	भार में 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
(v)	अपचायक चीनी	भार में 4.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।	भार में 5.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
(vi)	सुक्रोस	भार में 70.0 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।	भार में 60 0 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

[सं० पी० 15014/1/79—पी०एच० (एफ० एण्ड एन०) (पी०एफ०ए०)]

जी० पंचपकेशन, अवर सचिव

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 1981

G.S.R 837.— The following draft of certain rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954) after consultation with the Central Committee for Food Standards is hereby published, as required by the said sub-section, for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration on or after the expiry of ninety days from the date of publication of this notification in the Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified, will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. These rules may be called the Prevention of Food Adulteration (Amendment) Rules, 1981.

2. In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, (hereinafter referred to as the said rules), in rule 42, for sub-clause (L), the following clause shall be substituted, namely :—

"(L)—CURRY POWDER AND MASALA—Every package of curry-powder and mixed masala shall bear a label specifying the ingredients of the products in descending order of composition by weight. If mixed masala is fried in oil, it shall bear the following label : —

MIXED MASALA (FRIED)
THIS MASALA HAS BEEN FRIED IN..
.....
(Name of the edible oil used)

3. In appendix B of the said rules—

(i) in items A. 05.01, A 05.01.01, A. 05.02, A. 05.03, A. 05.03.01, A. 05.03.02, A. 05.04, A. 05.04.0.1 A. 05.04.02, A. 05.05, A. 05.05.01, A. 05.06, A. 05.06.01, A.05.06.02, A.05.07, A.05.07.01, A.05.08. A. 05.08.01, A. 05.09, A. 05.09.01, A. 05.10, A. 05.10.01, A.05.11, A.05.11.01, A.05.12, A.05.12.01, A. 05.13, A. 05.13.01, A. 05.14. A. 05.14.01, A. 05.15, A. 05.15.01 A. 05.16, A.05.16.01 A. 05.17, A. 05.17.01, A. 05.17.02, A. 05.17.03, A. 05.18, and A. 05.19

the following shall be added at the end :—

"It shall be free from added colouring matter and edible common salt."

(ii) in item A. 05.21, the words "edible common salt is added, its percentage by weight shall be declared on the label Also" shall be omitted;

(iii) after item A. 05.21, the following items shall be inserted, namely :—

"A.05.21.01—Mixed Masala (whole) means a mixture of clean, dried and sound aromatic herbs and spices. It may also contain dried vegetables and/or fruits, oilseeds, garlic, ginger, poppy seeds and curry leaves. It shall be free from added colouring matter. It shall be free from mould growth and insect infestation. The proportion of extraneous matter shall not exceed five per cent by weight out of which the proportion of organic and inorganic material shall not exceed three per cent and two per cent, respectively.

The names of the spices contained in the mixture shall be indicated on the label in descending order of composition.

A.05.21.02.—Mixed Masala (powder) means the powder obtained by grinding clean, dried and sound spices and aromatic herbs, dried fruits and/or vegetables, oilseeds, garlic, ginger, poppyseeds and curry leaves. It shall be free from any added colouring matter and preservative. It shall be free from dirt, mould growth and insect infestation. The proportion of spices and herbs and oilseeds in the mixture shall not be less than eighty five per cent. It may contain added starch and common salt. The proportion of extraneous starch in the mixture shall not exceed ten per cent by weight. It may be roasted or fried in edible oil. It shall conform to the following standards.:—

1. Moisture	Not more than 14 per cent by weight.
2 Ash insoluble in dilute hydrochloric acid.	Not more than 2.0 per cent by weight, on dry basis.
3. Crude Fibre	Not more than 15 per cent by weight, on dry basis.
4. Lead	Not more than 10 part per million on dry basis.

The ingredient contained in the mixed masala shall be declared on the label in the descending order of composition. The name of the edible oil, which has been added or in which the product has been fried shall also be mentioned on the label laid under sub-rule (L) of rule 42.

A.05.21.03—Garam Masala (Powder) means the powder obtained by grinding clean, dried and sound aromatic herbs and spices only. It shall not contain fruits or vegetables, fresh or dry) added starch or edible common salt, the powder shall be free from dirt, mould growth and insect infestation. It shall be free from added colouring matter and preservatives The ingredients used in the product shall be mentioned on the label in descending order of composition. It shall also conform to the following standards:—

1. Moisture	Not more than 14 per cent.
2. Volatile oil extract	Not less than 0.5 per cent volume/ weight on dry basis.
3. Non Volatile ether extract	Not less than 7.5 per cent by weight on dry basis.
4. Ash insoluble in dilute hydrochloric acid.	Not more than 2.0 per cent by weight on dry basis.
5. Crude fibre	Not more than 10.0 per cent by weight on dry basis.

(iv) in item A.07.03., for figures "Fructose/Glucose ratio shall not be less than 0.90" the words and figures "Fructose/Glucose ratio shall not be less than 0.95" shall be substituted ;

(v) in item A.18.01, for the word "Atta" the words "Atta or resultant atta" shall be substituted ;

(vi) for item A.18.07—the following item shall be substituted, namely : A.18.07—Biscuits including wafer biscuits shall be made from maida, vanaspati or refined edible oil or table butter or deshi butter or margarine or ghee or their mixture. It may contain any one or more of the following ingredients, namely :—

Edible common salt; permitted anti-oxidants; emulsifying and stabilising agents; permitted preservatives and colours; leavening agents such as baking powder; ammonium bicarbonate ; ammonium carbonate; butter milk powder ; cereals and their products; cheese; citric acid; cocoa; coffee extract ; edible desiccated coconut ; dextrose ; fruits and fruit products; dry fruits and nuts ; eggs ; edible vegetable products ; anyleses and other onzyaps; permitted flavouring agents; flavour improvers and fixers; flour improvers; ginger, gluten ; groundnut flour ; milk and milk products ; honey; jellyfying agents ; liquid glucose ; malt products ; edible oilseeds ; flour and meals ; spices and condiments edible starches such as potato starch ; and edible floura ; sugars and sugar products ; invert sugar ; jaggery ; protein concentrates and other nutrients ; sodium ; bisulphite ; sodium metabisulphite and other dough conditioners, vitamins, calcium and ferrous salts ; potassium iodide, malic and lactic acids ; tartaric acid ; vinegar and acetic acid ; yeast.

8. Biscuits shall conform to the following standard, namely:—

(a) Ash insoluble in dilute hydrochloric acid (on dry basis) shall not be more than 1.0 per cent.

(b) Alcoholic (90 per cent alcohol) acidity of extracted fat (as oleic acid) shall not exceed 1.5 per cent.

(vii) after item A.25.02 the following items shall be inserted, namely:—

A. 25.02.01 Chewing Gum and Bubble Gum shall be prepared from chewing gum base or bubble gum base like bubul ; Khikar (Gum Arabic) (Acacia nilotica-sin) (Acacia arabica) ; Khair (Acacia Catechu) : Jhingan (Jael) (*Leannea coromoandelica*) ; Chatti (Angissus latifolia) ; Chiku (Sopota) Achra Zapota) and Mahus (Maduca longifolia) or Natural or synthetic non-toxic gum, sugar and liquid glucose. It may also contain any of the following ingredients:—

Glycerine ; glyceral monostearate ; malt ; milk powder ; chocolate ; coffee ; gelatine ; non-toxic natural or mineral waxes ; sorbitol ; added starch ; citric acid (food grade) ; tartaic acid (food grade) ; and nutrients like vitamins, proteins and minerals etc.

It may contain permitted colouring matter, flavours, antioxidants, preservatives and emulsifiers. It shall be free from dirt, filth adulterants and harmful ingredients. It may also contain *tetanium dioxide* (food grade) to a maximum limit of 1 per cent. It shall also conform to the following standards, namely:—

	Chewing Gum	Bubble Gum
(i) Gum	Not less than 12.5, per cent by weight.	Not less than 14.0 per cent by weight.
(ii) Moisture	Not more than 3.5, per cent by weight.	Not more than 3.5, per cent by weight.
(iii) Sulphated Ash	Not more than 9.5 per cent by weight.	Not more than 11.5 per cent by weight.
(iv) Acid insoluble ash.	Not more than 2.0 per cent by weight.	Not more than 3.5 per cent by weight.
(v) Reducing sugar	Not less than 4.5 per cent by weight.	Not less than 5.5 per cent by weight.
(vi) Sucrose	Not more than 70.0 per cent by weight.	Not more than 60.0 per cent by weight.

[No. P. 15014/1/79-PH (F&N) (PFA)]

G. PANCHAPAKESAN, Under Secy.

MGIPRRND—VII—7 H&FW/81—29-9-81—400